सामाजिक अवसंरचना, रोजगार और मानव विकास

10
अध्याय

चूंकि भारत में आबादी का एक बड़ा हिस्सा नौजवान लोगों का है, अतः शिक्षा, हेल्थ केयर, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता जैसे सामाजिक क्षेत्रों में भारत को जनसांख्यिकीय लाभ प्राप्त है, जो लोगों के जीवनर की गुणवत्ता के साथ-साथ अर्थव्यवस्था की उत्पादकता पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। समाज के सभी वर्गों तक पहुंचने के लिए नीतियों/योजनाओं के डिजाइन में मूलभूत परिवर्तन, लोगों की भागीदारी, जागरूकता प्रौद्योगिकी उपयोग और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से पहुंच का विस्तार करना शामिल है। 2014-15 से 2019-20 की अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पााद के अनुपात के रूप में सामाजिक सेवाओं पर कुल खर्च में 1.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। शिक्षा की पहुंच ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सभी स्तरों पर शिक्षा प्रणाली में भागीदारी को बेहतर बनाया है। महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए आईटीआई के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से आवश्यक कौशल प्रदान करने के प्रयासों को बढ़ाते हुए कौशल विकास को आगे बढ़ाया गया है। अर्थव्यवस्था में कुल औपचारिक रोजगार में वर्ष 2011-12 के 8 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2017-18 के 9.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई। देश भर में आयुष्मान भारत और मिशन इन्द्रधनुष के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में सुधार हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 76.7 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में लगभग 96 प्रतिशत परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध थे। भारत के जल संकट ग्रस्त जिलों में जल-संरक्षण गतिविधियों को तेज करने के लिए जल शक्ति अभियान की शुरूआत की गई।

परिचय

10.1 समावेशी विकास और रोजगार के लिए सामाजिक बुनियादी ढ़ांचे में निवेश एक पूर्व-शर्त है। 2019-20 के अंतरिम बजट में सरकार ने अगले एक दशक के लिए एक विजन रखा है जिसमें अन्य बातों के साथ ही सामाजिक बुनियादी ढ़ांचे के निर्माण पर बल दिया गया है जिसमें, स्वस्थ समाज-आयुष्मान भारत, महिलाओं और बच्चों के उचित पोषण और नागरिकों की सुरक्षा पर जोर दिया गया है। हमें वर्ष 2022 तक सभी के लिए बिजली, स्वच्छ खाना पकाने की सुविधाा और आवास उपलब्ध कराने जैसी चुनौतियों का समाधान करने की जरूरत भी है। अपेक्षित कौशल प्रदान करना और रोजगार सृजन के लिए सहज वातावरण तैयार महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप से जल की आपूर्ति और हर गांव में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, महिलाओं के उद्यमशीलता को बढ़ावा, महिलाओं और बच्चों को पोषण और समग्र मानव विकास पर जोर दिया गया है। इस अध्याय में सामाजिक क्षेत्र की वर्तमान स्थिति, इनकी समस्यायें और इस क्षेत्र से सम्बन्धित जरूरी नीतियों की महत्वपूर्ण प्रगतियों को दर्शाया गया है।

सामाजिक क्षेत्र के व्यय में रुझानः

10.2 सामाजिक सेवा क्षेत्र पर खर्च में वृद्धि सरकार की सामाजिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। केंद्र और राज्यों द्वारा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात के रूप में सामाजिक सेवाओं (शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य) पर खर्च 2014-15 से

2019-20 (बजट प्राक्कलन बी ई) की अवधि के दौरान 1.5 प्रतिशत बढ़कर 6.2 से 7.7 प्रतिशत हो गया। इस अवधि के दौरान यह वृद्धि सभी क्षेत्रों में देखी गई। शिक्षा के क्षेत्र में यह वर्ष 2014-15 में हुए कुल खर्च 2.8% से बढ़कर 2019-20 में 3.1% हो गया और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 1.2 से 1.6 प्रतिशत हो गया। कुल सामाजिक सेवाओं पर हुए व्यय का हिस्सा कुल बजटीय व्यय वर्ष 2014-15 में 23.4 प्रतिशत था जोकि वर्ष 2019-20 में का हिस्सा बढ़कर 26% हो गया (तालिका 1)।

तालिका 1: सरकार (संयुक्त केंद्र और राज्यों) द्वारा सामाजिक सेवा क्षेत्र के खर्च में रुझान

मद	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 RE	2019-20 BE
			(रुपए में लाख करोड़)			
कुल बजटीय व्यय	32.85	37.61	42.66	45.16	55.17	60.72
सामाजिक सेवाओं पर व्यय	7.68	9.16	10.41	11.40	14.47	15.79
जिसमें से						
i) शिक्षा	3.54	3.92	4.35	4.83	5.81	6.43
ii) स्वास्थ्य	1.49	1.75	2.13	2.43	2.92	3.24
iii) अन्य	2.65	3.48	3.93	4.13	5.74	6.12
			जीडीपी के प्रतिशत के रूप में			
सामाजिक सेवाओं पर व्यय	6.2	6.6	6.8	6.7	7.6	7.7
जिसमें से						
i) शिक्षा	2.8	2.8	2.8	2.8	3.1	3.1
ii) स्वास्थ्य	1.2	1.3	1.4	1.4	1.5	1.6
iii) अन्य	2.1	2.5	2.6	2.4	3.0	3.0
			कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में			
सामाजिक सेवाओं पर व्यय	23.4	24.3	24.4	25.2	26.2	26.0
जिसमें से						
i) शिक्षा	10.8	10.4	10.2	10.7	10.5	10.6
ii) स्वास्थ्य	4.5	4.7	5.0	5.4	5.3	5.3
iii) अन्य	8.1	9.3	9.2	9.1	10.4	10.1
सामाजिक सेवाओं के प्रतिशत के रूप में						
i) शिक्षा	46.1	42.8	41.8	42.4	40.1	40.7
ii) स्वास्थ्य	19.4	19.1	20.5	21.4	20.2	20.5
iii) अन्य	34.6	38.0	37.7	36.2	39.7	38.8

स्रोत: संघ और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज, भारतीय रिज़र्व बैंक

टिप्पणी: 1. सामाजिक सेवाओं में शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति; चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण; जल आपूर्ति और स्वच्छता; आवास; शहरी विकास; एससी, एसटी और ओबीसी का कल्याण और श्रम एवं श्रम कल्याण; सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, पोषण, प्राकृतिक आपदाओं के मद में किए जाने वाले राहत आदि कार्य सम्मिलित हैं।

2. शिक्षा पर खर्च का अर्थ शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर खर्च से संबंधित है।

3. स्वास्थ्य पर खर्च में चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और जल आपूर्ति और स्वच्छता पर व्यय शामिल है।

4. मौजूदा बाजार कीमत पर जीडीपी का अनुपात 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए है। वर्ष 2019-20 की जीडीपी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा 07 जनवरी, 2020 को जारी प्रथम अग्रिम आकलन है।

तालिका 2: ग्लोबल एचडीआई 2018 में भारत की स्थिति

देश	एचडीआई 2018		एचड. ीआई रैंक 2017	प्रति व्यक्ति 2018 जी एन आई डॉलर +	जन्म पर जीवन प्रतिशत (वर्ष) 2018	स्कूलिंग के अपेक्षित वर्ष 2018*	स्कूलिंग के अपेक्षित वर्ष 2018*
	मूल्य	रैंक					
नार्वे	0.954	1	1	68059	82.3	18.1	12.6
यूनाईटेड किंगडम	0.920	15	14	39507	81.2	17.4	13.0
संयुक्त राज्य अमेरिका	0.920	15	13	56140	78.9	16.3	13.4
रशियन फेडेरेशन	0.824	49	49	25036	72.4	15.5	12.0
श्रीलंका	0.780	71	76	11611	76.8	14.0	11.1
ब्राज़ील	0.761	79	79	14068	75.7	15.4	7.8
चीन	0.758	85	86	16127	76.7	13.9	7.9
इंडोनेशिया	0.707	111	116	11256	71.5	12.9	8.0
दक्षिण अफ्रीका	0.705	113	113	11756	63.9	13.7	10.2
भारत	**0.647**	**129**	**130**	**6829**	**69.4**	**12.3**	**6.5**
बांग्लादेश	0.614	135	136	4057	72.3	11.2	6.1
म्यांकार	0.584	145	148	5764	66.9	10.3	5.0
पाकिस्तान	0.560	152	150	5190	67.1	8.5	5.2
विश्व	**0.731**			**15745**	**72.6**	**12.7**	**8.4**

स्रोत: मानव विकास रिपोर्ट (एच डी आर), 2019

टिप्पणी: आंकड़ों का संबंध वर्ष 2018 या उपलब्ध नवीनतम वर्ष से है, कि डॉलर - सकल राष्ट्रीय आय (जी एन आई) 2011 की क्रय शक्ति समानता (पी पी पी) पर आधारित

मानव विकास

10.3 मानव विकास सूचंकांक में सम्मिलित कुल 189 देशों में भारत की रैंकिंग 2018 में एक स्थान बढ़ाकर 129 हो गई जबकि वर्ष 2017 में भारत की रैंकिंग 130 थी। वर्ष 2018 में भारत का मानव विकास सूचंकांक (एच डी आई) का मान बढ़कर 0.647 (तालिका 2) हो गया हैं

10.4 भारत 1.3% औसत वार्षिक एच डी आई वृद्धि के साथ सबसे तेजी से सुधार करने वाले देशों में शामिल है और चीन (0.95), दक्षिण अफ्रीका (0.78), रसियन फ़ेडेरेशन (0.69), और ब्राजील (0.59) से आगे है (चित्र 1)। मानव विकास की इस गति को बनाए रखने के लिए तथा इसको और अधिक तेज करने के लिए सामाजिक सेवा में सार्वजनिक क्षेत्र जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।

चित्र 1: वर्ष 2010-2018 के दौरान औसत वार्षिक एच डी आर वृद्धि दर (प्रतिशत)

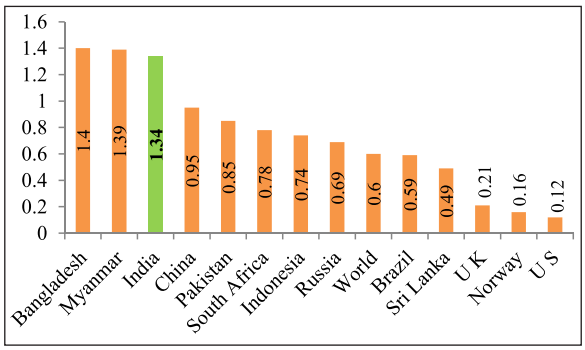

स्रोत: एच डी आर, 2019

सभी के लिए शिक्षा

10.5 सतत विकास लक्ष्य (एस डी जी)-4 के तहत वर्ष 2030 तक समस्त लोगों को समावेशी एवं समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया

1 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट तीन बुनियादी मापदंडों के संदर्भ में मानव विकास सूचकांक (एच डी आई) का अनुमान लगाती है जो कि निम्नलिखित हैं: दीर्घायु और स्वस्थ जीवन जीने के लिए, शिक्षित होने के लिए और जीवन-यापन से के उचित आर्थिक मानक।

है और साथ ही सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा दिया गया है। भारत में ''बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा (आरटीई) अधिनियम, 2009'' के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य प्रदान की जाती है। आर टी ई मानक के तहत प्राथमिक विद्यालयों को मौसम के अनुकूल भवन उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही विद्यालय के भवन में प्रत्येक अध्यापक के लिए एक कक्षा और कार्यालय-सह-स्टोर-सह-प्राध्यानाध्यापक कक्ष, बाधारहित पहुंच, लड़कों एवं लड़कियों के लिए पृथक शौचालय और समस्त बच्चों के लिए पर्याप्त पेयजल की सुविधा एवं खेल का मैदान भी सम्मिलित है।

10.6 शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यू-डी आई एस ई) स्कूली शिक्षा से संबंधित विभिन्न संकेतों के संबंध में आंकड़ों को एकत्रित करती है। यू-डी आई एस इ के अनुसार 2017-18 (अनन्तिम), 98.38 प्रतिशत सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों के लिए शौचालय की व्यवस्था है, जबकि 96.23 प्रतिशत सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में लड़कों के लिए शौचालय की व्यवस्था है, 97.13% सरकारी प्रारम्भिक विद्यालयों में पेयजल की सुविधा है जबकि 38.62% सरकारी प्रारम्भिक विद्यालयों में रैंप की सुविधा है। इसी प्रकार 58.88 प्रतिशत सरकारी प्रारम्भिक विद्यालयों में चहारदीवारी की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है जबकि 56.72 प्रतिशत सरकारी प्रारम्भिक विद्यालयों में खेल के मैदान की भी सुविधा उपलब्ध है। 79.30 प्रतिशत सरकारी प्रारम्भिक विद्यालयों में पुस्तकालय और 61.75 प्रतिशत विद्यालयों में बिजली की भी सुविधा उपलब्ध है। विद्यालयों तथा उच्च शिक्षा के अवसंरचना में सुधार होने से सभी स्तरों पर सकल नामांकन में वृद्धि दर्ज की गई है जिसे क्रमश: तालिका 3 और चित्र 2 में देखा जा सकता है।

तालिका 3: विद्यालयों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की संख्या

वर्ष	प्राथमिक उच्च प्राथ. मिक विद्यालय (लाखों में	उच्च माध्यमिक विद्यालय (लाखों में	वर्ष	महाविद्यालय	विश्वविद्यालय
2011-12	11.93	0.84	2011-12	34852	642
2017-18	14.85	1.24	2018-19	39931	993

स्रोत: शैक्षणिक आंकड़े, 2018: एक नजर में, यू-डी आई एस ई, 2017-18 (अनन्तिम) और उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण से संबंधित रिपोर्ट 2018-19, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

चित्र 2: अखिल भारतीय स्तर पर सकल नामांकन अनुपात (जी ई आर) की स्थिति (प्रतिशत में)

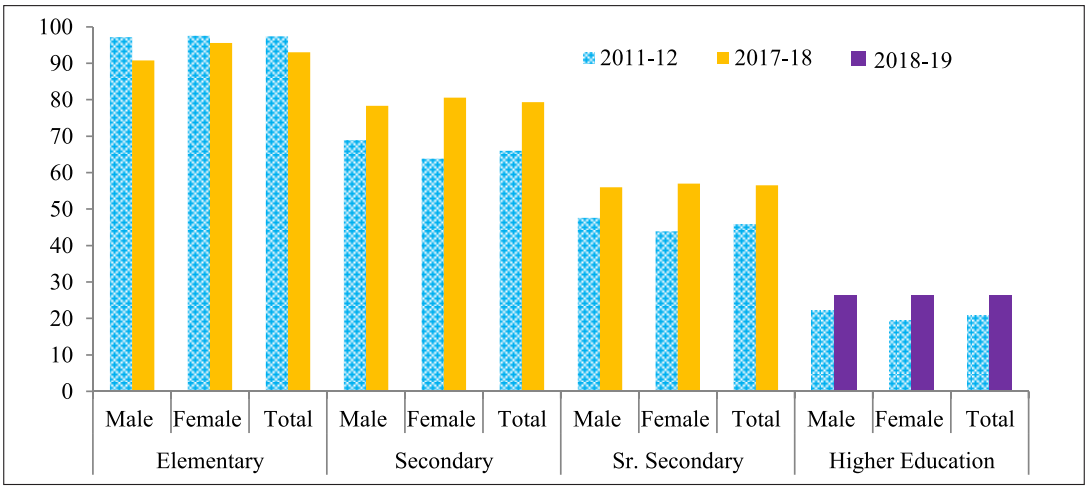

स्रोत: शैक्षणिक आंकड़े, 2018: एक नजर में, यू-डी आई एस ई, 2017-18 (अनन्तिम) और उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण से संबंधित रिपोर्ट 2018-19, मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

टिप्पणी: उच्च शिक्षा का जी ई आर वर्ष 2018-19 के लिए है और 18-23 आयु वर्ग के लिए गणना की गई है।

10.7 वर्ष 2017-18 में 'भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक खपत के प्रमुख संकेतों पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण (एनएसएस) रिपोर्ट में से भी इस बात की पुष्टि होती है कि शिक्षा प्रणाली में भागीदारी में बढ़ोतरी हुई है और इस रिपोर्ट में वहनीयता, गुणवत्ता तथा शैक्षिक बुनियादी ढांचे के संवितरण इत्यादि से संबंधित कुछ प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है। वर्ष 2017-18 में एन एस एस सर्वे में इस बात का पता चलता है कि 3 से 35 वर्ष के आयु वाले 13.6% ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कभी भी अपना नामांकन विद्यालयों में नहीं कराया। इसके पीछे का प्रमुख कारण शिक्षा में रुचि नहीं होना तथा वित्तीय कठिनाई को बताया गया। जो लोग विद्यालयों में नामांकित थे उनमें प्राथमिक स्तर पर छोड़कर जाने की दर (ड्रॉपआउट रेट) सबसे अधिक था जो कि 10% था जबकि 17.5% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने उच्च प्राथमिक/मिडिल स्तर पर जबकि 19.8% बच्चों ने माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ दिया था।

10.8 गरीब और वंचित वर्ग के लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए अर्थोपार्जन संबंधी गतिविधियों में लगे रहना ज्यादा पसंद करते हैं। उचित वित्तीय समर्थन प्रणाली का अभाव तथा उच्च शिक्षा में विशेषकर पाठ्यक्रम शुल्क के बोझ ने उन्हें शैक्षिक प्रणाली से दूर होने के लिए बाध्य कर दिया है। शिक्षा पर व्यय के विभिन्न घटकों का संघटन यह दर्शाता है कि मुख्य पाठ्यक्रम के औसत व्यय के लगभग आधे अन्य अंशदानों में पाठ्यक्रम शुल्क, जो अखिल भारतीय स्तर पर (ट्यूशन, परीक्षा, विकास शुल्क और अन्य अनिवार्य भुगतान सहित) 50.8 प्रतिशत है (चित्र 3)। पाठ्यक्रम शुल्क का अनुपात भी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अधिक है। छात्रों द्वारा शिक्षा पर किए जाने वाले औसत व्यय का दूसरा सबसे बड़ा घटक किताबें, स्टेशनरी और यूनिफ़ार्म है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों का औसत विद्यार्थी शहरी क्षेत्रों की तुलना में आश्चर्यजनक रूप से 10% से अधिक खर्च कर रहा है।

10.9 एनएसएस रिपोर्ट में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों पर रोचक निष्कर्ष प्रस्तुत किया हैं। सम्पूर्ण भारत के ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में स्थित सहायता प्राप्त निजी संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र

चित्र 3: वर्तमान शैक्षणिक वर्ष (2017-18) के दौरान बेसिक पाठ्यक्रम से संबंधित सामान्चय पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले प्रति छात्र औसत व्यय का वितरण (प्रतिशत)

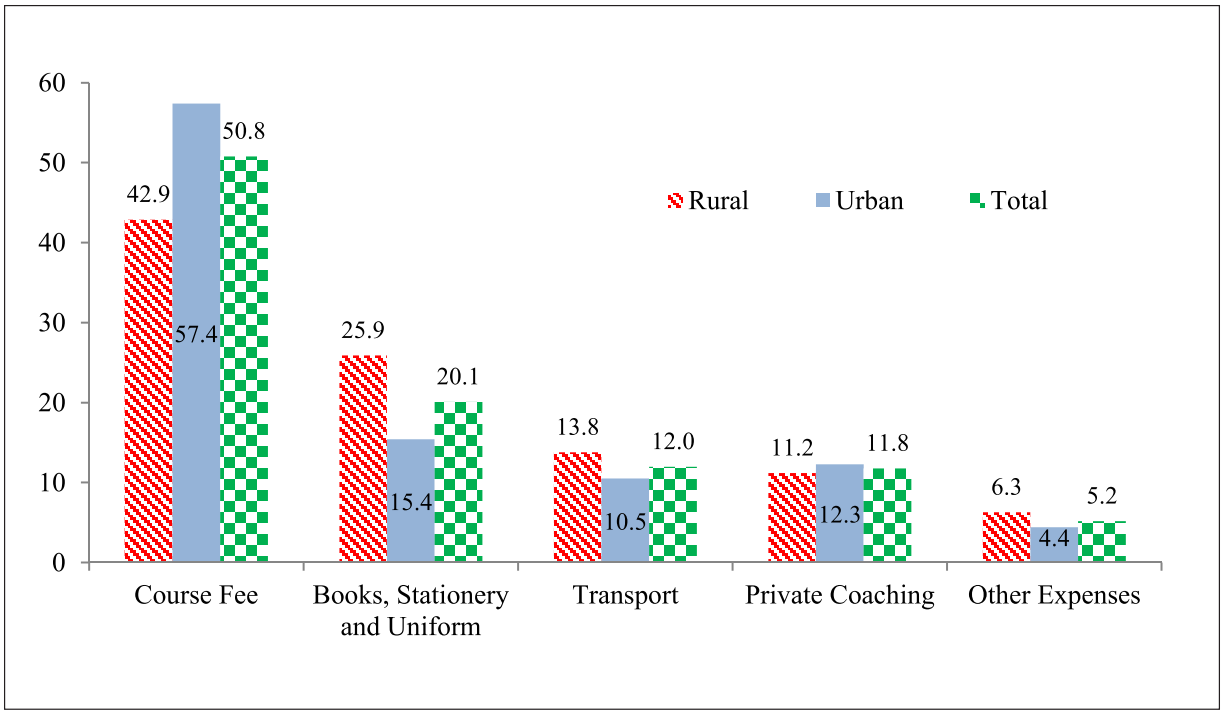

स्रोत: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक खपत के प्रमुख संकेतक, एन एस एस 75वां राउंड (2017-18)।

सरकारी संस्थानों की तुलना में काफी अधिक राशि व्यय कर रहे हैं (तालिका 4)। सरकारी विद्यालयों/संस्थानों में प्रतिस्पर्धा के अभाव के कारण शिक्षा की गुणवत्ता काफी नीचे है, जिसके फलस्वरूप अधिक से अधिक छात्र निजी संस्थानों में स्वयं को नामांकित करना पसंद करते हैं।

10.10 वहनीय और प्रतिस्पर्धी पद्धति से सरकारी विद्यालयों और संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई पहल को बॉक्स 1 में देखें।

तालिका 4: वर्ष 2017-18 में सामान्य शिक्षा ग्रहण करने वाले प्रति छात्र औसत व्यय (रु), वर्तमान उपस्थिति और संस्थान के प्रकार के आधार पर

संस्थान	पूर्व प्राथमिक	प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च माध्यमिक	स्नातक	स्नातकोत्तर और आगे	समस्त
सहायता प्राप्त निजी संस्थान							
ग्रामीण	822	1092	3678	6144	9516	13117	2586
शहरी	2126	2413	5978	10074	12448	15974	5954
कुल योग	**1030**	**1253**	**4078**	**7001**	**10501**	**14656**	**3135**
सहायता प्राप्त निजी संस्थान							
ग्रामीण	9589	9603	7361	10371	12820	17483	9723
शहरी	16401	15800	20324	26905	22949	22594	19545
कुल योग	**13223**	**12889**	**12487**	**16415**	**16769**	**19388**	**14155**

स्रोत: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक खपत के प्रमुख संकेतक एन एस एस 75वां राउंड (2017-18)।

बॉक्स 1: विद्यालयी शिक्षा पर कार्यक्रम और योजनायें

- पूर्व में, वर्ष 2017-18 तक प्रभावी सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) जो कि केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम थी, प्राथमिक विद्यालयों में आर टी ई अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निर्दिष्ट किया गया था, ताकि देश में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता उपलब्ध करायी जा सके। विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2018-19 से विद्यालय शिक्षा के लिए एकीकृत योजना - समग्र शिक्षा लांच किया है जिसमें तीन पूर्ववर्ती केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं - सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टी ई) को सम्मिलित किया गया हैं नई एकीकृत स्कीम के तहत विद्यालय शिक्षा की परिकल्पना प्री स्कूल से उच्च माध्यमिक (सीनियर सेकेंडरी) स्तर तक सातत्य रूप में की गई है और इसका उद्देश्य समावेशी और समानता पर अधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। समग्र शिक्षा के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मौजूदा सरकारी विद्यालयों साधन सम्पन्न बनाया जाता है और संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर बुनियादी सुविधओं के निर्माण में वृद्धि की जाती है। इस योजना में समस्त सरकारी विद्यालयों के छात्रों की संख्या के आधार पर विद्यालय को रुपये 25,000/- से रुपये 1,00,000/- तक प्रति वर्ष समग्र वार्षिक आवर्ती अनुदान प्रदान किया जाता है। प्रत्येक विद्यालय को स्वच्छता कार्य योजना से संबंधित गतिविधियों पर कम से कम 10% समग्र विद्यालय अनुदान खर्च किए जाने की आवश्यकता होती है। इस स्कीम में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न तरह से दखल देने की वकालत की गई है जैसे शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों के लिए प्रारंभिक एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण, जानकारी संवर्द्धन कार्यक्रम, शिक्षा में आईसीटी का उपयोग, अध्ययन के परिणामों का आकलन, पुस्तकालयों का प्रावधान और स्कूलों को पूरक सामग्री इत्यादि प्रदान करने के अलावा मौजूदा विद्यालय के भवनों शौचालयों और अन्य सुविधाओं के वार्षिक रख-रखाव और मरम्मत तथा बुनियादी ढांचे को अच्छी स्थिति में रखने का प्रावधान है।

- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर पुन: ध्यान केंद्रित करने के लिए केंद्रीय आरटीई नियमों में संशोधन किया गया है ताकि कक्षावार एवं विषयवार शिक्षण परिणामों पर संदर्भ को शामिल किया जा सके। तदनुसार प्रारंभिक अवस्था तक भाषाओं (हिंदी अंग्रेजी और उर्दू) और गणित, पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में प्रत्येक कक्षा से संबंधित अध्ययन के परिणामों को अंतिम रूप दिया गया है और सभी राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है। यह राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए दिशानिर्देश का काम करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा से कि सभी बच्चे उपयुक्त शिक्षण स्तर प्राप्त कर सकें। आर टी ई अधिनियम 2009 को 2017 में संशोधित किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी शिक्षक 31 मार्च 2019 तक अधिनियम के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लें और प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर सरकार के जोर को सुदृढ़ किया जा सके।
- नवोदय विद्यालय स्कीम में देश के प्रत्येक जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने का प्रावधान है ताकि ग्रामीण क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को सामने लाया जा सके। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों को चयन करना है और उन्हें सर्वश्रेष्ठ आवासीय विद्यालय प्रणाली की तुलना में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है।
- एक राष्ट्रीय मिशन निष्ठा (विद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं अध्यापकों के लिए समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल) वर्ष 2019-20 में केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रारम्भिक स्तर पर अध्ययन के परिणामों में सुधार के लिए शुरू की गई है। एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगभग 42 लाख शिक्षकों और स्कूलों के प्रमुख, एससीईआरटी के संकाय सदस्यों, डाइट, ब्लॉक रिसोर्स कॉर्डिनेटर, और कलस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटरों की क्षमता का निर्माण करने की पकिल्पना की गई है इस प्रशिक्षण का उद्देश्य छात्रों में महत्वपूर्ण सोच को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने हुत शिक्षकों को प्रेरित एवं तैयार करना है ताकि वो विभिन्न स्थितियों को संभालने में समर्थ हो सकें और प्रथम स्तर के काउंसलर के रूप में कार्य कर सकें।
- कला, संगीत, नृत्य और रंगमंच सहित सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से खेल के साथ ही अध्ययन को बढ़ावा देना किसी भी छात्र की जीवन और स्कूल की गतिविधियों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क ने इस तरह की गतिविधियों के महत्व पर जोर दिया ताकि शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके।
- प्रधानमंत्री अभिनव शिक्षण कार्यक्रम (ध्रुव) को शुरू करने का उद्देश्य प्रतिभावना छात्रों को चिन्हित करते हुए उनके कौशल और ज्ञान को समृद्ध करना हैं
- प्रौद्योगिकी सुविधायुक्त शिक्षण के और व्यापक बनाने के लिए राज्य और संघराज्य क्षेत्र सक्रियरूप से शामिल हो रहे हैं ताकि वे ''दीक्षा'' प्लेटफार्म पर आ सके। गुणवत्ता में सुधार और दीक्षा पर ई-सामग्री की प्रकृति में विविधता लाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। अन्य ई-कंटेंट साइट जैसे ई-पाठशाला, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज (एनआरओईआर) को दीक्षा के साथ एकीकृत किया जा रहा है ताकि सहज पहुँच को सुनिश्चित किया जा सके।

10.11 सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान के संबंध में लोगों की आवश्यकताओं की परिवर्तित होती हुए गतिशीलता को पूरा करने के लिए एक नई शिक्षा नीति बनाने की प्रक्रिया की शुरूआत कर दी है ताकि अपने छात्रों को अपेक्षित कौशल और ज्ञान से लैस करके भारत को एक ज्ञान की महाशक्ति (नॉलेज सुपरपावर) बनाया जा सके और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अकादमिक और उद्योग में जनशक्ति की कमी को दूर किया जा सके।

10.12 उच्च शिक्षा सहित तकनीकी शिक्षा में अध्ययन और शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए की गई पहल का उल्लेख बॉक्स 2 में किया गया है।

बॉक्स 2: उच्च शिक्षा में कार्यक्रम और योजनाएँ

- सरकार ने शिक्षकों और शिक्षण पर पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन (पी एम एम एम एन एन एम टी टी) को लांच किया गया है, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में शिक्षकों के उन्नत शिक्षण और व्यावसायिक विकास के लिए मजबूत पेशेवर कैडर से संबंधित प्रदर्शन मानकों का निर्माण करना और शीर्ष श्रेणी की संस्थागत सुविधाएं सृजित करना है। निजी संस्थानों सहित केंद्रीय, राज्य विश्वविद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षक क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के साथ-साथ प्रवेश

प्रशिक्षण में भी भाग ले सकते हैं।

- उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एच ई एफ ए) की स्थापना उच्चतर शिक्षा संस्थानों, केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, एम्स और स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्य शैक्षिक संस्थानों के लिए स्थायी वित्तीय मॉडल उपलब्ध करना है ताकि वर्ष 2022 तक परियोजनाओं को एक लाख करोड़ रुपये की निधि दिया जा सके। 11 दिसंबर 2019 तक 37,001.21 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है और एच ई एफ ए के माध्यम से वित्त पोषण का लाभ उठाने वाले शिक्षण संस्थानों की संख्या 75 है।
- राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन प्रौद्योगिकी (एनईएटी) ने उच्च शिक्षा मे बेहतर शिक्षण परिणामों के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु पीपीपी योजना की घोषणा की। इसका उद्देश्य विद्यार्थी की आवश्यकताओं के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमता का उपयोग करना है ताकि अधिगम को व्यक्ति सापेक्ष और अनुकूलित किया जा सके। इसके लिए अनुकूलित अध्ययन में प्रौद्योगिकी के विकास की आवश्यकता होती है ताकि विविधता का समाधान किया जा सके। एड-टेक कंपनियां एनईएटी पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों के समस्याओं के समाधान करने और शिक्षार्थियों के पंजीकरण के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होंगी।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग ने शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन और समावेश कार्यक्रम (इक्विप/ईक्यूयूआईपी) नामक एक पंचवर्षीय विजन प्लान को अंतिम रूप देत हुए जारी किया। इक्विप/ईक्यूयूआईपी एक विजन प्लान है जिसका उद्देश्य रणनीतिक हस्तक्षेपों के जरिए अगले पांच वर्षों (2019-2024) में भारत के उच्चतर शिक्षा प्रणाली के क्षेत्र में परिवर्तन की शुरुआत करना हैं
- शीर्ष रैंकिग विश्वविद्यालयों द्वारा संवर्धित विशेषताओं एव सुविधाओं के साथ ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रम की पेशकश के लिए स्वय 2.0 लॉन्च किया गया था। उच्च शिक्षा विभाग की वर्ष 2019 में शुरू की गई कुछ अन्य प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं, जैसे - दीक्षारंभ, जो कि छात्र प्रवेश कार्यक्रम के लिए एक गाइड के रूप में कार्य करता है, और 'परामर्श' स्कीम के तहत राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद से आधिकारिक मान्यता की मांग करने वाले संस्थानों की निगरानी की जाती है।

कौशल विकास

10.13 युवा व्यक्तियों के भविष्य के श्रम बाजार की स्थिति उनके शुरूआती अनुभवों से अत्यधिक प्रभावित होती है, जिसमे यह भी शामिल है कि वे कितनी जल्दी और कैसे श्रम बाजार तक पहुंच बनाने में सक्षम हैं। इसमें शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से हासिल किए गए कौशल और दक्षता भी सम्मिलित हैं (आईएलओ, 2019)। सामान्य शिक्षा वर्गों के ज्ञान में सुधार करती है, जबकि कौशल प्रशिक्षण उनके रोजगार क्षमता को बढ़ाते हुए उन्हें श्रम बाजार की आवश्यकताओं से निपटने के लिए लैस करता है।

10.14 आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 2017-18 के अनुसार 15-59 वर्ष के उत्पादक आयु-समूह में केवल 13.53 प्रतिशत ने प्रशिक्षण (2.26 प्रतिशत औपचारिक व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण और 11.27 प्रतिशत ने अनौचारिक प्रशिक्षण) प्राप्त किया है। औपचारिक रूप से प्रशिक्षण प्रापत श्रमिकों का बड़ा वर्ग अर्थात लगभग 55.9 प्रतिशत ने या तो स्वयं अध्ययन (28.66 प्रतिशत) या पैत्रिक (27.24 प्रतिशत) द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है और 38.51 प्रतिशत ने ऑन-जॉब प्रशिक्षण प्राप्त किया है। श्रमिकों का राज्य-वार प्रतिशत चित्र 4 में देखा जा सकता है।

10.15 कौशल भारत मिशन के तहत सरकार प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 2016-20 को लागू करती है जो पूरे देश में सूची में सम्मिलित प्रशिक्षण केंद्रों/प्रशिक्षण प्रदाताओं (टीसी/टीपी) के माध्यम से बड़ी संख्या में भावी युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) लेने मे समर्थ बनती है और पूर्व अध्ययन को मान्यता प्रदान (आरपीएल) करती है। पीएमकेवीवाई (2016-20) के तहत देश भर में 11 नवंबर, 2019 तक 69.03 (लगभग) (38.01 लाख एसटीटी + 31.02 लाख आरपीएल) अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया था।

10.16 पीएमकेवीवाई 2016-20 के तहत प्रशिक्षण केंद्रों टीसी/टीपी में उद्योग जगत से संपर्क बनाए रखने एवं अभ्यर्थियों के प्लेसमेंट के लिए समर्पित मेंटोरशिप-सह-प्लेसमेंट सेल खोलने की भी आवश्यकता हैं प्रशिक्षण प्रदाताओं (टीपी) को सेक्टर कौशल परिषदों

चित्र 4: श्रमबल (15-59 वर्ष) का राज्य-वार प्रतिशत जिन्होंने औपचारिक/अनौपचारिक स्रोतों के जरिए प्रशिक्षण प्राप्त किया है

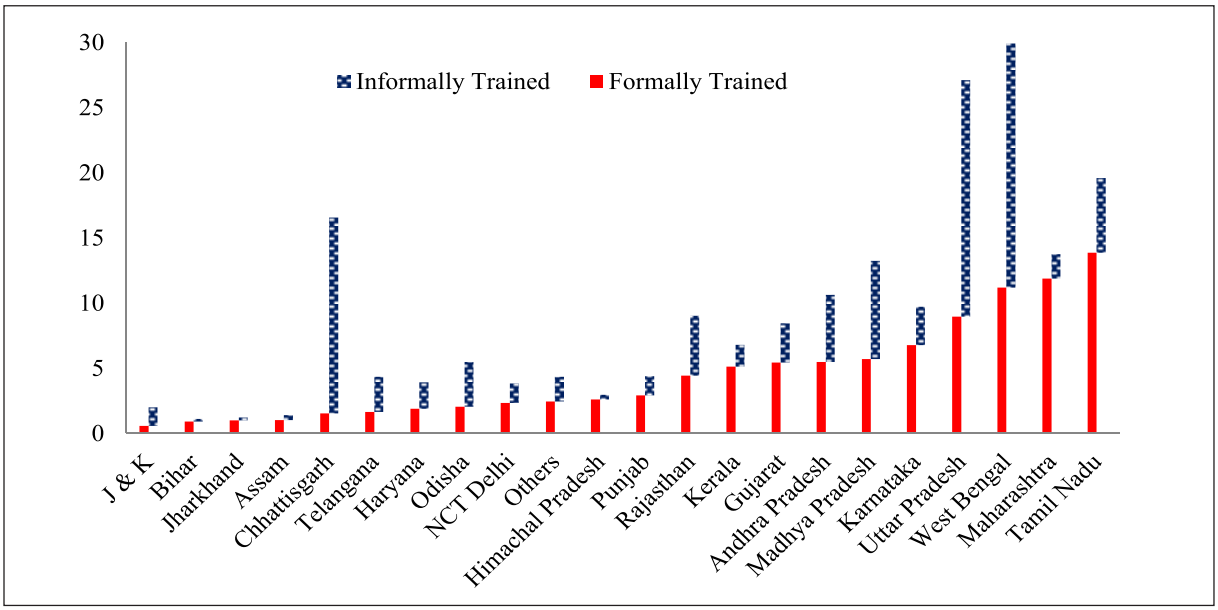

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट, पीएलएफएस (2017-18)

(एसएससी) के सहयोग से प्रत्येक 6 महीने में प्लेसमेंट/रोजगार मेला आयोजित करने का अधिकार-पत्र दिया गया है और साथ ही स्थानीय उद्योग की भागीदारी को सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। टीसी को प्रशिक्षण भुगतान के अंतिम 20 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति उम्मीदवार के प्लेसमेंट के साथ जुड़ी हुई है। इसके अलावा, प्रत्येक प्रशिक्षु को विशेष समूह और क्षेत्रों के संबंध में 2 या 3 महीने हेतु प्रशिक्षाणोत्तर रुपये 1500/- प्रति माह प्लेसमेंट सहयोग दिया जाता है जिसका निर्णय उम्मीदवार के अधिवास के जिले के भीतर या बाहर प्लेसमेंट के आधार पर किया जाता है। एसटीटी के तहत, एसडीएमएस (कौशल विकास प्रबंधन प्रणाली) पर रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के अनुसार 30.21 लाख उम्मीदवारों को प्रमाणित किया गया, जिसमें 15.4 लाख उम्मीदवारों को देशभर के विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्त किए जाने की रिपोर्ट दी गई।

10.17 प्रशिक्षुता नीति के प्रचार-प्रसार के लिए प्रशिक्षुता नियमावली, 1992 में अनेक सुधार लागू किए गए हैं। प्रशिक्षुता नियमावली, 1992 के तहत किए गए व्यापक सुधारों को बॉक्स 3 में उल्लिखित किया गया है।

बॉक्स 3: प्रशिक्षुता नियमावली, 1992 के तहत किए गए सुधार

- प्रशिक्षुओं की नियुक्ति में कुल कर्मचारी संख्या की ऊपरी सीमा को 10 से 15 प्रतिशत प्रशिक्षुता बढ़ाना;
- प्रशिक्षुता के नियोजन को अनिवार्य करते हुए किसी स्थापना की आकार सीमा में 40 से 30 की कमी करना;
- प्रथम वर्ष के लिए छात्रवृत्ति के भुगतान को न्यूनतम मजदूरी से न जोड़कर, निश्चित कर दिया गया है;
- प्रशिक्षुता के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिए छात्रवृत्ति में 10 से 15 प्रतिशत की वृद्धि;
- वैकल्पिक व्यवसाय के लिए प्रशिक्षुता परीक्षण की अवधि 6 माह से 3 वर्ष तक हो सकेगी;
- निर्धारित छात्रवृत्ति की न्यूनतम राशी 5वीं से 9 वीं पास विद्यार्थियों के लिए 5000/- ₹ प्रतिमाह तथा स्नातक या डिग्रीधारक प्रशिक्षुओं के लिए किसी भी विषय-शाखा में 9000/- ₹ प्रतिमाह होगी।

भारत में रोजगार की स्थिति

10.18 रोजगार क्षमता में सुधार के साथ रोजगार के अवसर उत्पन्न करना सरकार की प्राथमिकता है। देश में रोजगार उत्पनन करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जैसे निजी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना, बड़े निवेश वाली फास्ट ट्रैकिंग विभिन्न परियोजनाएं, प्रधानमंत्री के रोजगारजनरेशन कार्यक्रम (पी एम ई जी पी), महात्मागांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) पं. दीनदयालय उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू जी के वाई) और दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी (आजीविका) मिशन (डी ए वाई-एन यू एल एम) जैसी स्कीमों पर सार्वजनिक व्यय में बढ़ात्तरी। इन नीतियों के उपायों के परिणाम स्वरूप रोजगार की प्रकृत्ति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है।

10.19 पी एल एफ एस अनुमानों2 के अनुसार नियमित मजदूरी/वेतन कर्मचारियों के भाग में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है यह 2011-12 के 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 2017-18 में का सामान्य स्टेटस3 पर 23 प्रतिशत की हो गयी है (चित्र 5) वास्तविक रूप में इस श्रेणी में नए रोजगारों में लगभग 2.62 करोड़ की महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी हुई थी। जिसमें से 1.21 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में और 1.39 करोड़ शहरी क्षेत्रों में वृद्धि हुई। (तालिका 5)4 विशिष्ट रूप से नियमित मजदूरी/वेतन रोजगार श्रेणी में महिला कर्मिकों का अनुपात में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई (2011-12 के 13 प्रतिशत की तुलना में 2017-18 में 21 प्रतिशत) इसके अतिरिक्त इस श्रेणी में महिला कार्मिकों के लिए रोजगार में 0.71 करोड़ नए रोजगार मिले। (चित्र 5)

10.20 स्वरोजगार श्रेणी में (जिसमें नियोक्ता, स्वनियोजित कामगार और अप्रदत्त पारिवारिक मजदूर) जहां स्वनियोजित कामगारों और नियोक्ताओं के अनुपात में वृद्धि हुई है वहीं 2011-12 और 2017-18 के मध्य अप्रदत्त पारिवारिक मजदूर (हेल्पर) के अनुपात में विशेष रूप से महिलाओं5 के अनुपात में कमी आई है। तथापि स्वरोजगार प्राप्त कामगारों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आया इस अवधि के दौरान यह 52 प्रतिशत पर बना रहा (तालिका 5 एवं चित्र 5)

---

2. सरकार ने एनएसओ के पूर्ववर्ती पंचवार्षिक (प्रत्येक पाँच वर्षों में एक बार) रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण (ई यू एस) के साथ-साथ सर्वेक्षण प्रद्धति, डाटा संग्रहण प्रणाली और प्रतिदर्श अभिकल्प में कुछ परिवर्तनों सहित वार्षिक आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), 2017-18 नामक एक नया नियमित रोजगार-बेरोजगार सर्वेक्षण शुरू किया है। पीएलएफएस के अंतर्गत, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों से परिवारों का चयन उन परिवारों का 75 प्रतिशत भारांक प्रदान करते हुए किया गया है जिसमें कम से कम एक सदस्य माध्यमिक (कक्षा 10) या उससे उच्च शिक्षा प्राप्त हो। रोजगार-बेरोजगार सर्वेक्षण (ईयूएस) में, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि कार्यकलापों से प्राप्त समृद्धि स्तर एवं आय तथा शहरी क्षेत्रों के चयनित ब्लॉकों में परिवार की मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) का उपयोग परिवारों के वर्गीकरण हेतु किया गया था। प्रद्धति एवं प्रतिदर्श अभिकल्प में परिवर्तन के कारण पी एल एफ एस पर आधारित श्रम बाजार आँकलन एनएसओ द्वारा संचालित रोजगार-बेरोजगार संबंधी पूर्ववर्ती पंचवार्षिक सर्वेक्षण के निष्कर्ष तुलनायोग्य नही है। एनएस ओ-ईयूएस के पूर्ववर्ती दौर के साथ पीएलएफएस के निष्कर्षों को सर्वेक्षण प्रद्धति तथा प्रतिदर्श अभिकल्प विश्लेषणात्मक तर्कवितर्क के साथ-साथ पढ़ा जाना आवश्यक है।

3. सामान्य स्थिति (पी एस + एस एस) से किसी व्यक्ति की समग्र संदर्भ वर्ष की औसत कार्य स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। इसको और भी दो श्रेणियों में उप विभाजित किया जा सकता है। एक 'मुख्य स्थिति' और दूसरी 'सहायक स्थिति' है। मुख्य स्थिति में उस गतिविधि का आकलन किया जाता है जिसमें किसी व्यक्ति ने संदर्भ वर्ष (मुख्य समय कसौटी) की अपेक्षाकृत लंबी अवधिबताई हो जबकि सहायक स्थिति में उस व्यक्ति की गतिविधि स्थिति का आकलन किया जाता है जिसने कार्यबल में से अधिकतर दिनों की अवधि बिताई हो किन्तु कम समयावधि (30 दिन से अधिक) तक कार्य किया हो (वार्षिक रिपोर्ट, पी एल एफ एस 2017-18)।

4. एन एस ओ डाटा श्रमिकों को रोजगार की स्थिति के आधार पर तीन श्रेणियें अर्थात स्व-नियोजित श्रमिक; नियमित वेतन/वेतनभोगी कर्मचारी; और आकस्मिक मजदूर में वर्गीकृत करता है। स्व-नियोजित श्रेणी में वे लोग शमिल हैं जो अपने लिए काम करते हैं और मजदूरी लाभ के लिए अपनी श्रम शक्ति का विक्रय किसी अन्य को नहीं करते हैं। श्रमिकों की इस श्रेणी में उन सभी श्रमिकों को शमिल किया जाता है जो अपने उद्यमों का संचालन व्यक्तिगत रूप से या भागीदारों के साथ या घर-आधारित श्रमिकों के रूप में करते थे या किसी एक पेशें या व्यापार में लगे होते हैं (एनसीईयूएस: 2009) । हालांकि, नियमित वेतन/वेतनभोगी कर्मचारी वे हैं जो नियमित आधार पर पूर्व निर्धारित वेतन/ वेतन प्राप्त करते हैं इसके अतिरिक्त, अनियम श्रमिक में लोग आते हैं जिन्हें दैनिक या मासिक आधार पर बहुत कम समय के लिए काम पर रखा जाता है। इन तीन श्रेणियों में से, नियमित वेतन/वेतनभोगी कर्मचारी गुणात्मक दृष्टि से बेहतर होते हैं क्योंकि वे सामाजिक/नौकरी सुरक्षा जैसे अन्य लाभों के साथ या बिना उक्त लाभों के पूर्व-निर्धारित मजदूरी/ वेतन प्राप्त करते हैं।

5. स्वरोजगार कामगारों/श्रमिकों में वे शमिल होते हैं जिन्होंने अपने उद्यमों को स्वयं या एक या कुछ साझेदारों के साथ मिलकर संचालित किया और संदर्भ अवधि के दौरान किसी भी श्रमिक को काम पर रखे बिना अपना उद्यम चलाया, जबकि नियोक्ता ऐसे स्वरोजगार श्रमिक हैं जिन्होंने मजदूरों को काम पर रखकर अपने उद्यम को चलाया। हालांकि गैरवैतनिक परिवार के मजदूरों/सहायकों में वे लोग शमिल हैं जो अपने घरेलू उद्यमों में लगे हुए थे, पूर्णक. ालिक या अंशकालिक तौर पर कार्यरत थे और उन्हें संदर्भ अवधि के दोरान किए गए कार्यों के बदले में कोई नियमित वेतन या मजदूरी नहीं मिली थी। 2017-18 वार्षिक रिपोर्ट पीएलएफएस

चित्र-5 भारत में क्षेत्र लिंग और रोजगार की स्थिति द्वारा कार्मिकों का वितरण (प्रधान स्थिति तथा गौण स्थिति, सभी आयु वर्ग)

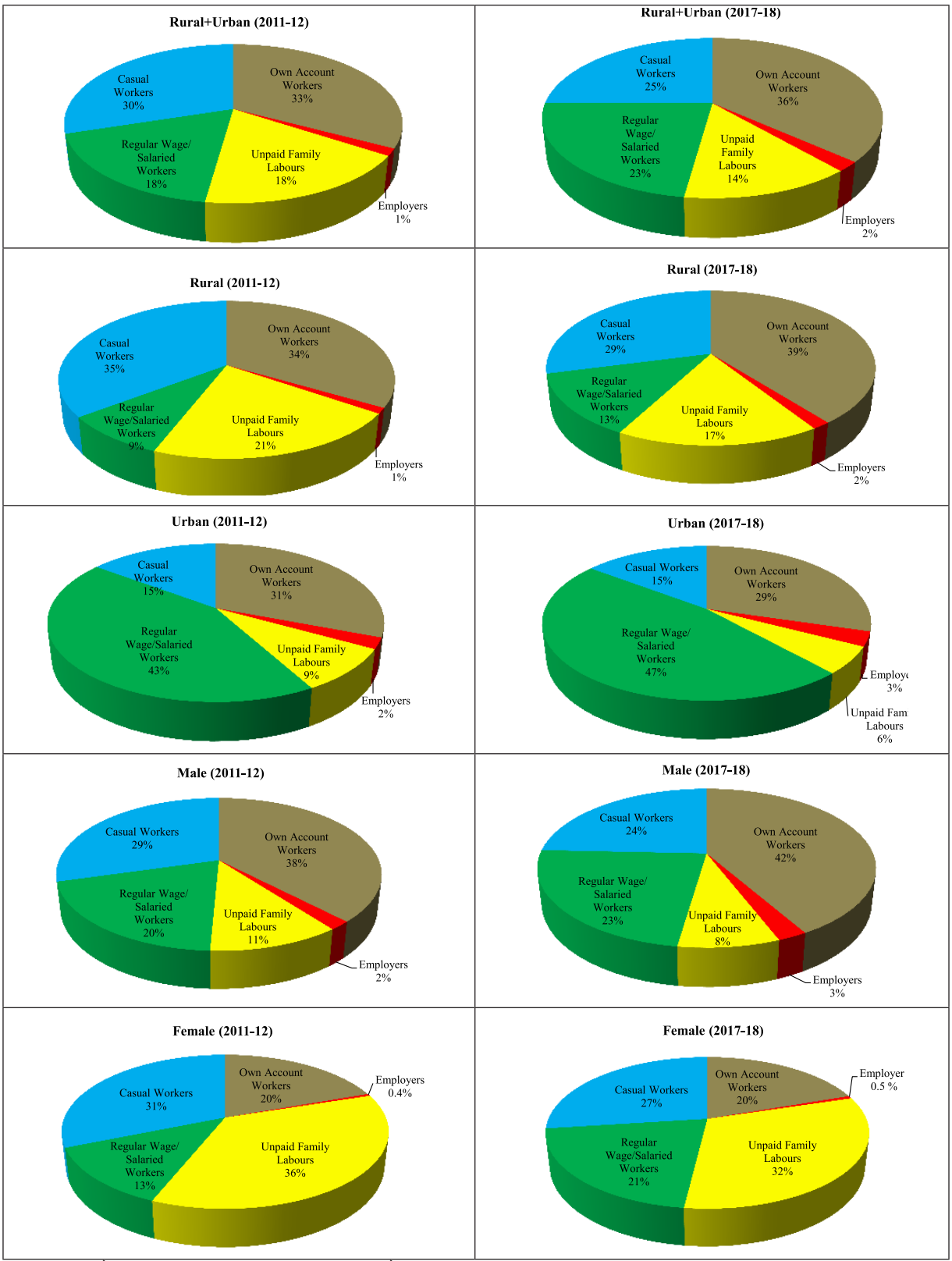

स्रोत: रोजगार-गैर रोजगार सर्वेक्षण (ईयूएस) 2011-12 और आवधिक लेबर फोर्स सर्वे पी एल एफ एस) एन एस ओ 68वें राउण्ड के यूनिट स्तर डाटा से अनुमान

टिप्पणी: तुलना के लिए व्याख्यात्क टिप्पणी के साथ आंकड़ों को पढ़ा जाए।

तालिका 4: भारत में कामगारों की संख्या, (प्रदानस्थिति, गौण स्थिति, सभी आयुवर्ग) (करोड़ में)

रोजगार की स्थिति	पुरूष		महिला		ग्रामीण		शहरी		कुल	
	2011-12	2017- 18	2011-12	2017-18	2011-12	2017-18	2011-12	2017-18	2011-12	2017-18
स्व नियोजि	17.33	18.68	7.20	5.54	18.81	18.26	5.73	5.95	24.54	24.21
स्व लेखा कामगार	*12.94*	*14.90*	*2.55*	*2.15*	*11.26*	*12.45*	*4.21*	*4.60*	*15.47*	*17.05*
नियोक्ता	*0.64*	*0.9*	*0.06*	*0.06*	*0.39*	*0.49*	*0.31*	*0.47*	*0.7*	*0.96*
अप्रदत्त पारिवारिक श्रमिक	*3.75*	*2.88*	*4.6*	*3.33*	*7.16*	*5.32*	*1.21*	*0.88*	*8.37*	*6.20*
नियमित मजदूर/ वैतनिक कर्मचारी	7.10	9.00	1.74	2.45	2.93	4.14	5.91	7.30	8.83	11.45
अनियत कामगार	9.95	8.61	3.97	2.86	11.91	9.18	2.02	2.28	13.92	11.46
कुल	**34.38**	**36.29**	**12.91**	**10.85**	**33.64**	**31.59**	**13.65**	**15.53**	**47.29**	**47.12**

स्रोत: एनएसओ के 68वें राउंड के रोजगार-बेरोजगार (ईयूएस) 2011-12 और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, 2017-18 के इकाई स्तर का डाटा
नोट: 1. 1 जनवरी, 2018 को अनुमानित जनसंख्या 135.74 करोड़ थी जो एनएसओ के यूएस (2011-12) फॉर्मूला $A = A1 * [1+\frac{R}{100}]^{82/120}$ का प्रयोग करके निकाली गई है, जहां ए1, 1 मार्च, 2011 की जनगणना आबादी है, R जनगणना 2001 और 2011 के बीच आबादी में प्रतिशतता दशक परिवर्तन है और A, 1 जनवरी, 2018 को अनुमानित जनसंख्या है।
2. अंकों को तुलनात्मकता के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी के साथ पढ़ा जाएगा।

10.21 अनियत श्रम श्रेणी में कामगारों के वितरण में ग्रामीण क्षेत्रों में गिरावट दर्ज की गई। यह 2011-12 के 30 प्रतिशत से 5 प्रतिशत घटकर 2017-18 में 25 प्रतिशत हो गया (चित्र 5 और तालिका 5)।

रोजगार का औपचारिकीकरण

10.22 जीएसटी लागू करने, भुगतान के डिजिटलीकरण, बैंक खातों में सब्सिडी/छात्रवृत्ति/मजदूरी और वेतन के सीधे लाभ अंतरण, जन धन खातों के खुलने, ज्यादा कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने के माध्यम से सरकार अर्थव्यवस्था को एक औपचारिक रूप देने का प्रयास कर रही है। बाक्स (4) इन पहलों के परिणामस्वरूप, औपचारिक रोजगार में वृद्धि दर्ज की गई है, जैसा कि कई डेटा स्रोतों के माध्यम से इसे दिखाया गया है।

10.23 उद्योगों की वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) के अनुसार संगठित विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि हुई है। वर्ष 2014-15 और 2017-18 के बीच इस क्षेत्र में लगे श्रमिकों की कुल संख्या में 14.69 लाख की वृद्धि हुई जबकि इस कार्य पर लगे हुए कुल व्यक्तियों (जिसमें कर्मचारी एवं नियोक्त) भी शामिल हैं, की संख्या में 17.33 लाख की वृद्धि हुई है। (चित्र 6)

चित्र 6: भारत में संगठित विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार (लाख में)

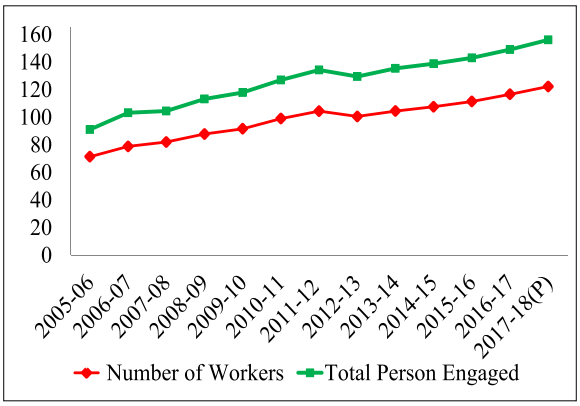

स्रोत सांख्यिकी एवं कार्यन्वयन मंत्रालय (एम ओ एस पी आई) के विभिन्न अंक का वार्षिक सर्वेक्षण (पी. अनंतिम प्राक्कलन)

10.24 संगठित सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ा के कार्यबल के औपचारिकरण की सीमा को इंगित करने के लिए सरकार सितंबर 2017 से उन नए अभिदाताओं की संख्या का उल्लेख करते हुए मासिक

बाक्स 4: श्रम बाजार के औपचारिकरण की दिशा में उठाए गए कदम

- भविष्य निधि खातों की सुवाहयता के लिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अंशदान करने वाले सदस्यों के लिए ''सार्वभौमिक खाता संख्या'' सेवा प्रारंभ की है।
- सरकार प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपी आई) के अंतर्गत, 15,000/ रूपये प्रतिमाह तक का वेतन आहरित करने वाले नए कर्मचारियों के संबंध में उनके रोजगार के प्रथम तीन वर्षों तक 12 प्रतिशत नियोक्ता अंशदान का भुगतान कर रही है। यह स्कीम 31 मार्च, 2019 को समाप्त हो गई है।
- ई पी एस में अभिदान की अनिवार्य मजदूरी सीलिंग 6500/ रु. प्रतिमाह से बढ़ाकर 15,000/ रूपये प्रतिमाह कर दी गई है। मनरेगा को छोड़कर, रोजगाार के क्षेत्रों पर बिना भेदभाव किये सभी कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरियों सुनिश्चित करने के लिए और समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने के लिए मजदूरी अधिनियम, 2019 पर संहिता तैयार की गई है।
- कारोबारों के लिए औपचारिक क्रेडिट /ऋण सृजित करने के लिए मुद्रा एवं स्टैंड-अप भारत की शुरूआत की गई।
- ईएसआई अंशदान की दर 1 जुलाई, 2019 से 6.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत की गई।
- नियोक्ता के अंशदान शेयर को 4.75 प्रतिशत से घटाकर 3.25 प्रतिशत किया गया और कर्मचारियों के शेयर को 1.75 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत किया गया।
- वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई नेशनल कैरियर सर्विस (एनसीएस) परियोजना में विविध रोजगार सेवायें, जैसे कैरियर काउंसलिंग, कौशल विकास पाठ्यक्रमों से संबंधित रोजगार अधिसूचना और सूचना तथा डिजिटल प्लेटफार्म (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू . एन सी एस. जी. ओ. वी. इन) पर समृद्ध कैरियर सन्तुष्टि जैसी कैरियर से जुड़ी उनके सेवाओं का प्रावधान किया गया हैं
- एन सी एस राष्ट्रीय रोजगार सेवा के रूपांतरण द्वारा जाब तलाश करने वाले अभ्यार्थियों और नियोक्ताओं, प्रशिक्षण और कैरियर संबंधी मार्गदर्शन चाहने वाले अभ्यर्थियों, प्रशिक्षण प्रदान करने वाली एजेंसियों, और कैरियर काउंसलिंग के मध्य अंतराल को पाटन की दिशा में कार्य करता है।

वेतन पत्रक प्रकाशित कर रही है जिनको तीन मुख्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं अर्थात कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ) कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईपीएफओ) और राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन पी एस) के अधीन लाभ प्राप्त हुआ है। इनमें से कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ) में 6 करोड़ से अधिक सक्रिय सदस्य (वर्ष में कम से कम एक माह के अंशदान के साथ) है। भारत में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, संगठित/अर्ध-संगठित क्षेत्र में श्रमिकों की सामाजिक सुंरक्षा निधि का प्रबंधन करता है। 20 दिसंबर की स्थिति के अनुसार वर्ष 2019-20 तक के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के वेतन पत्रक डाटा वर्ष 2018-19 में 61.12 लाख की तुलना में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अभिदाता के रूप में 55.6 लाख निवल वृद्धि को दर्शाता है (चित्र 7) इन प्राक्कलनों में ई पी एफ ओ के रिकार्ड के अनुसार वर्ष के दौरान नए नामांकित, छोड़कर गए और पुन:शामिल हुए सदस्यों की निवल संख्या को शामिल किया गया है।

10.25 एन एस ओ ई यू एस तथा पी एल एफ एस 2017-18, जो अनौपचारिक गैर कृषि उद्यम और ए जी ई जी सी (कृषि क्षेत्र फसल उगाने को छोड़कर, बागवानी और पशुपालन के साथ फसल उगाई)अनौपचारिक सेक्टर रोजगार को प्रस्तुत करती है, इस क्षेत्र में लगे कार्यबल के अनुपात में वर्ष 2004-05 में 77.5 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2017-18 में 68.4 प्रतिशत होने को भी दर्शाती है, और यह गिरावट महिलाओं में अधिक पाई गई है (तालिका 6)

चित्र 7: निवल कर्मचारी भविष्य निधि अभिदाता (लाख में)

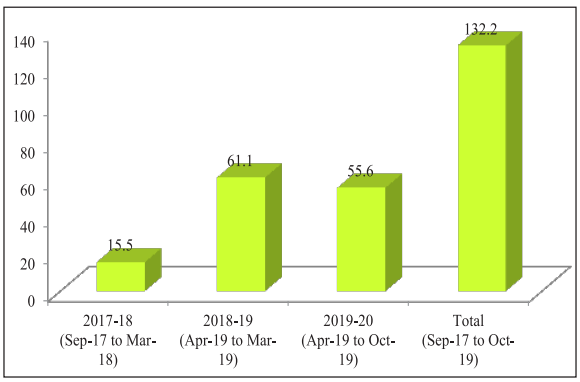

स्रोत: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

टिप्पणी: यह डाटा अनंतिम है क्यों कि कर्मचारियों के रिकार्डों को अद्यतन करना एक सतत प्रक्रिया है और अद्यतन परवर्ती माह/माहों में किया जाता है।

तालिका 6: अनौपचारिक क्षेत्र उद्यम में रोजगार; सामान्य स्थिति क्रमिक; गैर कृषि क्षेत्र और ए जीईजीसी में कार्यरत (प्रतिशत में)

Category of Workers	EUS 61st Round 2004-05	EUS 66th Round 2009-10	EUS 68th Round 2011-12	PLFS 2017-18
Male	76.7	71.5	73.4	71.1
Female	79.7	69.8	69.2	54.8
Person	77.5	71.1	72.4	68.4

स्रोत: एनएस ओ (ई यू एस) विभिन्न चक्र और पी एल एफ एस (2017-18)
टिप्पणी तुलनात्मकता के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी के साथ अंकड़ों को पढ़ा जाए।

10.26 अर्थव्यवस्था में औपचारिक-अनौपचारिक रोजगार की सीमा की समग्र तस्वीर प्राप्त करने के लिए, संगठित और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत औपचारिक और अनौपचारिक श्रमिकों की कुल संख्या प्राप्त करने के लिए एलएफ के कार्यबल अनुमानों पर एनसीईयूएस (2007क)6 परिभाषा लागू की गई थी। यह देखा गया है कि संगठित क्षेत्र में श्रमिकों के अनुपात में 2011-12 में 17.3 प्रतिशत की तुलना में 2017-18 में 19.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई (तालिका 7)। वास्तविक रूप में संगठित क्षेत्र में वर्ष 2017-18 में लगभग 9.05 करोड़ की वृद्धि हुई जो 2011-12 की तुलना में 0.87 करोड़ अधिक है। यह मुख्य रूप से औपचारिक रोजगार में वृद्धि का कारण था जिसकी संगठित क्षेत्र में भागीदारी 2011-12 में 45 प्रतिशत की तुलना में 2017-18 में 49 प्रतिशत थी। इस अवधि के दौरान कुल औपचारिक रोजगार में वृद्धि 8 प्रतिशत से 9.98 प्रतिशत थी। पूर्ण रूप से औपचारिक रोजगार में कार्मिकों की संख्या में 2011-12 में 3.8 करोड़ की तुलना में 2017-18 में 4.7 करोड़ की वृद्धि हुई थी। (तालिका 7)

Table 7: Formal-Informal Employment across Organized and Unorganized Sector

Employment	Organized (in per cent)	Unorganized (in per cent)	Total (in per cent)	Organized (in crore)	Unorganized (in crore)	Total (in crore)
2004-05						
औपचारिक	53.42	0.36	7.46	3.34	0.14	3.41
अनौपचारिक	46.58	99.64	92.38	2.91	39.35	42.26
जोड़	**13.68**	**86.32**	**100**	**6.25**	**39.49**	**45.67**
2011-12						
औपचारिक	45.4	0.40	8.1	3.71	0.16	3.83
अनौपचारिक	54.6	99.6	91.9	4.47	38.95	43.46
जोड़	**17.3**	**82.7**	**100**	**8.18**	**39.11**	**47.29**
2017-18						
औपचारिक	48.91	0.74	9.98	4.43	0.28	4.70
अनौपचारिक	51.09	99.26	90.02	4.62	37.79	42.43
जोड़	**19.2**	**80.8**	**100**	**9.05**	**38.07**	**47.13**

स्रोत: एनएसओ (ईयूएस) के विभिन्न राउंड और पीएलएफएस (2017-19) के यूनिट स्तर के आंकड़ों से अनुमान
टिप्पणी तुलना करने के लिए आंकड़ों को व्याख्यात्मक टिप्पणी के साथ पढ़ा जाए।

6 असंगठित क्षेत्र में उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीईयूएस, असंगठित क्षेत्र में दस कार्मिकों से कम संख्या वाले और प्रापराइटी या भागीदारी आधार पर माल का उत्पादन अथवा बिक्री के कार्य में संलग्न या सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी व्यक्ति या परिवार के स्वामित्वाधीन सभी गैर-निगमित प्राइवेट एंटरप्राइजेज। तथापि अनौपचारिक कार्मिकों में ऐसे कार्मिक शामिल हैं। जो गैर संगठित एंटरप्राइजेज में या घरेलू कार्यों में संलग्न हैं इनमें सामाजिक सुरक्षा के लाभ सहित नियमित कार्मिक और नियोक्ता द्वारा किसी रोजगार/सामाजिक सुरक्षा के बगैर औपचारिक क्षेत्र में कार्मिक शामिल नहीं हैं। (एनसी ईयूएस 2007 क पृ. 3)सारणी 7: संगठित और असंगठित क्षेत्र में औपचारिक-अनौपचारिक रोजगार (करोड़ में)

रोजगार का लिंगात्मक आयाम

10.27 श्रम बाजार में लैंगिक समानता त्वरित आर्थिक विकास और संपदा सृजन प्राप्त करने के लिए स्मार्ट अर्थशास्त्र होना माना जाता है क्योंकि इसमें परिवार की आय में वृद्धि, बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च करने, बचत, निवेश और उपयोग वृद्धि में सुधार के जरिए देश की गरीबी, असमानता और आर्थिक कल्याण पर प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। वैश्वीकरण के युग में, यदि किसी देश की आधी आबादी गैर-पारिश्रमिक में पाबंद हों, कम उत्पादक हो और गैर-आर्थिक गतिविधियों में लगी हो तो वह देश न तो विकास कर सकता है और न अपनी पूर्ण संभावना को ही प्राप्त कर सकता है। (वर्ल्ड बैंक, 2011)

श्रम बाजार में महिलाओं की सहभागिता

10.28 एनएसओ-ईयूएस और पीएलएफएस के अनुमानों के अनुसार, उत्पादक आयु-समूह (15-59) के लिए महिला श्रम बल सहभागिता दर (एलएफपीआर) सामान्य स्थिति के अनुसार (पीएस+एसएस) गिरावट का रुझान दर्शाती है। महिला श्रम बल सहभागिता वर्ष 2011-12 में 33.1 प्रतिशत से 7.8 प्रतिशतांक गिर कर वर्ष 2017-18 में 25.3 प्रतिशत रह गई। हालांकि महिला श्रम बल सहभागिता दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में उच्चतर हैं, गिरावट की दर भी शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में उच्चतर हैं, (चित्र 8क) इसके परिणामस्वरूप, भारत के श्रम बाजार में लैंगिक असमानता बढ़ गई है जो शहरी महिलाओं को छोड़कर पुरुष श्रम बल सहभागिता दर की तुलना में महिलाओं के अनुपात में गिरावट के रुझान से पता चलता है! शहरी क्षेत्रों में, महिला बल सहभागिता स्थिर रही है। अत: पुरुष ऋम बल की तुलना में महिलाओं का अनुपात भी वर्ष 2011-12 और वर्ष 2017-18 के बीच स्थिर रहा है (चित्र 8ख)

10.29 महिला कामगार आबादी अनुपात (डब्ल्यूपीआर) भी इसी प्रकार का रुझान दर्शाता है7 पीएलएफएस के अनुसार, वर्ष 2017-18 में उत्पादक आयु समूह (15-59 आयु) के लिए महिला कामगार आबादी अनुपात 23.8 प्रतिशत (ग्रामीण क्षेत्रों में 25.5 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 19.8 प्रतिशत रहा जबकि वर्ष 2011-12 में यह 32.3 प्रतिशत रहा था (चित्र 9क)

चित्र 8क: अवस्थिति द्वारा महिला श्रम बल सहभागिता दर (पी एस. एसएस, 15-59 आयु)

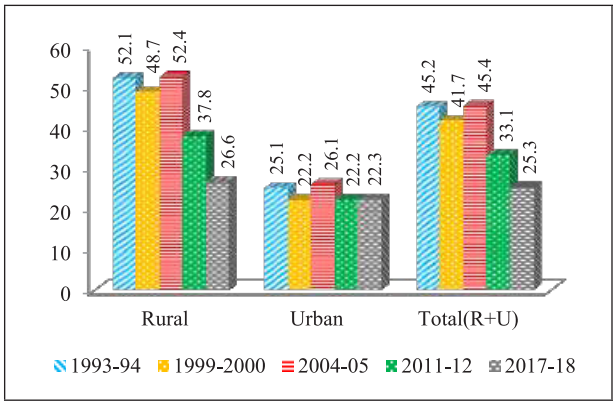

चित्र 8ख: पुरुष श्रम बल सहभागिता दर की तुलना में महिलाओं का अनुपात (पीएस+एसएस, 15-59 आयु)

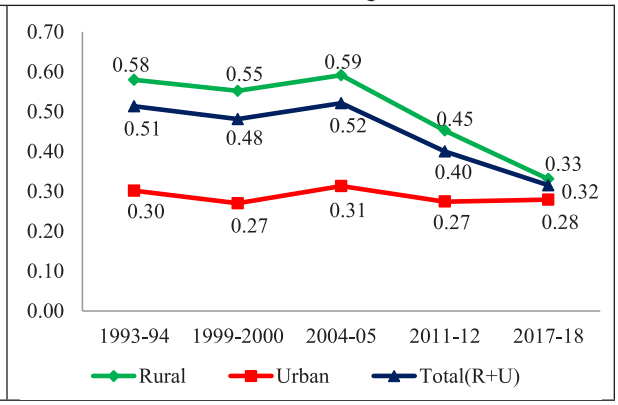

स्रोत: विभिन्न एनएसओ सर्वेक्षण चक्रों के इकाई स्तर के आंकड़ों के अनुमानित
Note: The figures are to be read along with explanatory note for comparability.

7. श्रमिक बल उन श्रमिकों को इंगित करता है जो किसी संदर्भ अवधि में आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए होते हैं अथवा किसी आर्थिक गतिविधि में शामिल होना चाह रहे हैं। इसमें (1) ऐसे श्रमिक जो कार्यबल में हैं; और (2) बेरोजगार श्रमिक दोनों शामिल हैं। इनमें से, कार्यबल उस आबादी को इंगित करता है जो किसी आर्थिक गतिविधि में सक्रिय रूप से लगी हो और किसी संदर्भ वर्ष में माल और सेवाओं का उत्पादन कर रहा हो जबकि बेरोजगार श्रमिक उस पूरी आबादी को इंगित करते हैं जो कार्य की तलाश कर रहे हैं और कार्य के लिए उपलब्ध हैं किन्तु उन्होंने किसी संदर्भ वर्ष में कार्य की कमी के कारण कार्य नहीं किया था। इसलिए, श्रमिक बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) को कुल आबादी के नियोजित व्यक्तियों के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है (वार्षिक रिपोर्ट, पीएलएफएस 2017-18)।

इसके परिणामस्वरूप, पुरुष कार्य सहभागिता की तुलना में महिलाओं के अनुपात में भी शहरी महिलाओं को छोड़कर भारत में निरंतर गिरावट का रुझान दर्शाया गया है। (चित्र 9ख)

10.30 कार्यकलाप के आधार पर, प्राथमिक (पीएस) और गौण (एस एस) - दर्शातें हैं कि महिलायें, मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों में जो गौण कार्यों (एस एस) में लिप्त थी उनकी भागीदारी प्रचण्ड रुप से कम हुयी है। यह भागीदारी 2004-05 के 25 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 5.7 प्रतिशत हो गयी है। (चित्र 9 घ) यह साफ दर्शाता है कि जिनको पास स्थिर नौकरी है वह उसी पर बनी हुयी है जबकि जो अंशकालीन नौकरी में थी वह श्रम बाजार से बाहर हो जा रही हैं।

महिला श्रम शक्ति की सहभागिता को प्रभावित करने वाले कारक

10.31 जहां महिलाएं भारत की आबादी का लगभग आधा हिससा हैं वहीं श्रम बाजार में उनकी सहभागिता लगभग 1/3 है तथा आने सर्वेक्षणों के बाद देखा गया है कि उसमें गिरावट आ रही है। इस गिरावट वाले रुझान को समझने के लिए, युवा (15-29) तथा आयु समूहों (30-59 और 15-59) के लिए कार्यबल से बाहर की महिलाओं के कार्यकलाप की स्थिति की पृथक रूप से जांच की गई थी। जैसा कि सारणी 8 में वर्ष 2017-18 में देखा गया है, युवा महिलाओं (3 प्रतिशत) की तुलना में युवा पुरुषों (10.5 प्रतिशत) की बेरोजगारी दर उच्चतर थी। शैक्षणिक संस्थाओं में जाने वाले युवाओं के अनुपात में युवा पुरुषों के लिए वर्ष

चित्र 9क: अवस्थिति द्वारा महिला कामगार आबादी अनुपात (पीएस+एसएस, 15-59 आयु)

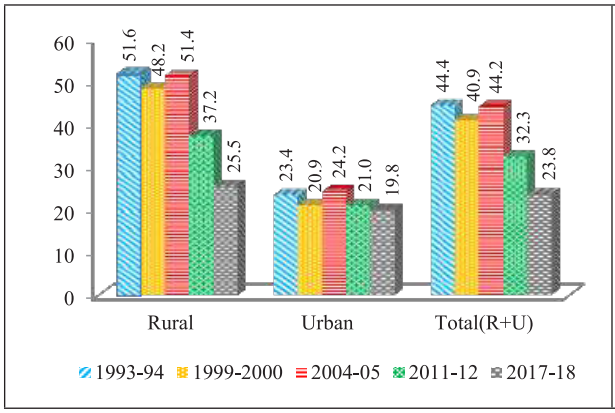

Figure 9 C: Female Worker Population Ratio (principal status, 15-59 ages) by Location (per cent)

चित्र 9ख: पुरुष कार्य सहभागिता दर की तुलना में महिलाओं का अनुपात (पीएस,+एसएस, 15-59 आय)

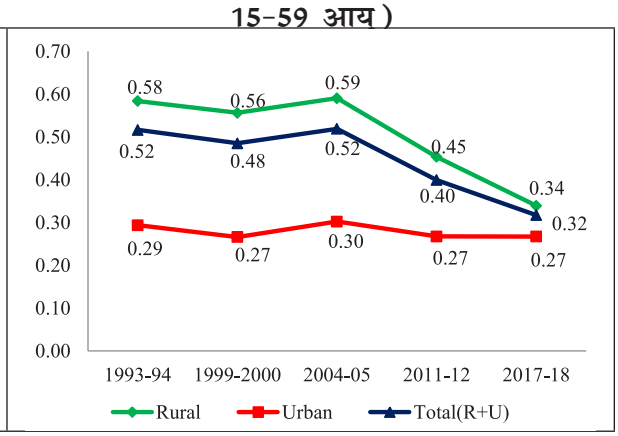

Figure 9 D: Female Worker Population Ratio (subsidiary status, 15-59 ages) by Location (per cent)

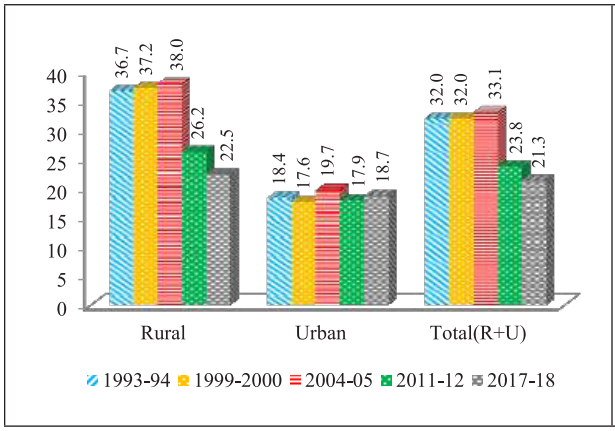

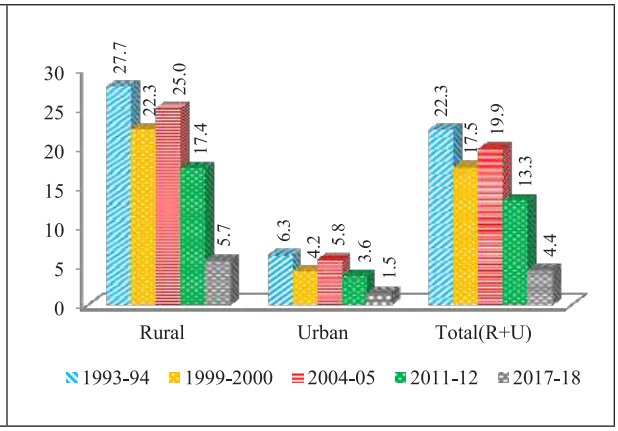

स्रोत: एनएसओ (ईयूएस) के विविध दौरों के यूनिट लेवल के डाटा और पीएलएफएस (2017-18) से आकलित।
टिप्पणी: अंकों को तुलनात्मकता के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी के साथ पढ़ा जाएगा।

2004-05 में 23 प्रतिशत से वर्ष 2017-18 में 38.5 प्रतिशत तक अपेक्षाकृत तेज गति से वृद्धि हुई है, जबकि युवा महिलाओं के लिए यह अनुपात वर्ष 2004-05 में 15.8 प्रतिशत से वर्ष 2017-18 में 30.3 प्रतिशत लगभग दोगुना रहा है। इसे एक उल्लेखनीय उपलब्धि माना जा सकता है कि लगभग 1/3 युवा कौशल प्राप्त करने में लगे थे जिससे श्रम बाजार में उनके प्रवेश में विलंब हुआ। तथापि, वर्ष 2017-18 में लगभग 52.3 प्रतिशत युवा महिलाएं घरेलू कार्यकलापों में लगी हुई थीं और पिछले 2 दशकों की तुलना में यह अनुपात बढ़ा है। इसी प्रकार, उत्पादक आयु समूह 30-59 में, जहां महिलाओं शिक्षा से बाहर थीं, घरेलू कार्य करने वाली महिलाओं का अनुपात वर्ष 2004-05 में 46 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 65.4 प्रतिशत हो गया 9 सारणी 8)। पुरुषों के 1 प्रतिशत से भी कम की तुलना में उत्पादक आयु समूह (15-59 वर्ष) के लिए, कार्य करने के लिए, कार्य करने वाली आयु की महिलाओं की लगभग 7 प्रतिशत महिलाएं केवल घरेलू कार्य करने के कारण श्रम बाजार से बाहर थीं।

10.32 उत्पादक आयु समूहों की कार्यबल से बाहर की महिलाओं की शैक्षणिक उपलब्धि रोचक परिणाम दर्शाती है। यह पाया गया था कि सभी आयु उप-समूहों से संबंधित उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं की तुलना में मिडिल स्तर और माध्यमिक स्तर वाली महिलाओं घरेलू

सारणी 8: लिंग के आधार पर प्रमुख कार्यकलापों में कार्यबल से बाहर (पीएस+एसएस, 15-59 आयु) आबादी का वितरण (प्रतिशत)

कार्यकलाप	2004-05		2011-12		2017-18	
	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
15-29 वर्ष आयु वर्ग						
बेरोजगार (क)	3.91	2.18	3.77	1.62	10.45	2.94
श्रमिक बल में से (ख)						
शैक्षिक संस्थाओं में काम करने वाले	23.19	15.88	34.33	25.44	38.47	30.30
घरेलू ड्यूटी करने वाले	0.47	45.92	0.51	49.25	1.03	52.29
अन्य	1.72	1.12	1.60	0.91	1.72	1.00
कार्यबल (क+ख) का जोड़	**29.28**	**65.09**	**40.21**	**77.25**	**51.68**	**86.53**
30-59 वर्ष आयु वर्ग						
बेरोजगार (क)	0.43	0.49	0.36	0.24	1.29	0.48
श्रमिक बल में से (ख)						
शैक्षिक संस्थाओं में काम करने वाले	0.03	0.05	0.03	0.05	0.10	0.11
घरेलू ड्यूटी करने वाले	0.24	46.03	0.22	58.52	0.37	65.39
अन्य	2.26	1.89	1.96	1.84	2.69	2.84
कार्यबल (क+ख) का जोड़	**2.96**	**48.47**	**2.57**	**60.63**	**4.45**	**68.82**
15-29 वर्ष आयु वर्ग						
बेरोजगार (क)	2.01	1.24	1.86	0.83	5.30	1.51
श्रमिक बल में से (ख)						
शैक्षिक संस्थाओं में काम करने वाले	10.50	7.07	15.11	10.89	16.90	12.75
घरेलू ड्यूटी करने वाले	0.34	45.98	0.35	54.57	0.66	59.90
अन्य	2.01	1.55	1.81	1.44	2.27	2.07
कार्यबल (क+ख) का जोड़	**14.86**	**55.83**	**19.12**	**67.72**	**25.13**	**76.24**

स्रोत: एनएसओ-ईयूएस के विभिन्न चक्रों और पीएलएफएस 2017-18 के इकाई स्तर के आंकड़ों; से अनुमानित।

टिप्पणी: (1) एम, एफ और पी क्रमश: पुरुष, महिला और व्यक्ति को इंगित करता है अन्य में विप्रेषण प्राप्तकर्ता, दिव्यांग और अन्य शामिल हैं।

कार्यों में लगी हुई थीं उत्पादक आयु समूहों (15-59 वर्ष) के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त केवल 5.3 प्रतिशत महिलाएं पूर्णकालिक घरेलू कार्यों में लगी हुई हैं जबकि घरेलू कार्य करने वाली शेष 54.6 प्रतिशत महिलाएं माध्यमिक स्तर तक ही पढ़ी हुई होती हैं (सारणी 9) । इस प्रकार समुचित शैक्षणिक स्तर/कौशलों की प्राप्ति का अभाव महिलाओं को घरेलू कार्यों तक सीमित कर रहे हैं।

सारणी 9: भारत में आयु समूहों और शिक्षा के स्तर के आधार पर घरेलू कार्य करने वाली (पीएस+एसएस) महिलाओं का वितरण

शिक्षा का स्तर	आयु समूह		
	15-29	30-59	15-59
अनपढ़	8.0	26.1	18.5
मिडिल स्तर तक	23.9	24.7	24.4
माध्यमिक स्तर तक	14.3	9.8	11.7
माध्यमिक उच्चतर	6.0	4.7	5.3
कुल	**52.3**	**65.4**	**59.9**

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट, पीएलएफएस 2017-18

टिप्पणी: स्नातक और इससे ऊपर, में डिप्लोमा/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शामिल हैं।

10.33 भारत के लिए कम और गिरावट वाली महिला श्रम बल सहभागिता दरों के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में अनुसंधान कार्य किया गया है। गिरावट वाली और कम महिला श्रम बल सहभागिता दर के समर्थन में अग्रिम तर्क मांग और आपूर्ति दोनों ही पक्ष से संबंधित हैं। आपूर्ति पक्ष के कारकों में यह कहा जाता है कि, वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और इसलिए श्रम बल भागीदारी देरी से कर रही है (रंगराजन ईटी एएल, 2011,) यह इसलिये भी हो सकता है कि उच्चतर मजहदूरीस्तरों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आय बढ़ सकी है, जिससे आर्थिक कठिनाई के समय रोजगार तलाशने का महिलाओं का दबाव समाप्त हो जाएगा (हिमांशु 2011,) श्रम बल सहभागिता दर में गिरावट का कारण सांस्कृतिक कारक और सामाजिक बाधाएं हो सकते हैं (दास 2006, बानू 2006) महिलाओं पर भुगतान न किए गए कार्य और भुगतान न किए गए देख-रेख कार्य का असंगत भार (वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, 2018)।

माँग पक्ष के कारकों में गुणवत्ता वाली नौकरियों का अभाव और लैंगिक मजदूरी में महत्वपूर्ण अंतर का होना है (विश्वबैंक, 2010), चौधरी 2011, काप्सोस ई ओ ए एल 2014) सांघी ईटी एएल (2015) ने ग्रामीण भारत से संबंधित एनएमएसओ-ईयूएस आंकड़ों के प्रयोग वाले अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि सभी तर्कों में से, आय का प्रभाव, शिक्षा का प्रभाव और कम महत्व दिए जाने की समस्या मुख्य कारक हैं, जिस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है वह है अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक रूपांतरण और समग्र प्रक्रिया में महिला श्रम बाजार पर इसका परिणामी प्रभाव। मेहरोत्रा एंड सिन्हा (2017) में यह पाया कि महिलाओं की आर्थिक सहभागिता पर अनेक अंतरसंबंधित कारकों जैसे शैक्षणिक संस्थाओं में बढ़ती भीड़, बाल श्रम में गिरावट, परिवार के उच्चतर आय स्तर, कृषि संबंधी रोजगार से संरचनात्मक रूप से हटना, और कृषि का बढ़ना, मशीनीकरण कुछ ऐसे कारक थे जो महिला रोजगार के रूझानों में कमी के बन गये थे। अध्ययन से यह भी पता चला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन में गिरावट, और शहरी क्षेत्रों में श्रमोन्मुख उद्योगों के उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय मांग में कमी से भी भारत में महिला श्रम बल सहभागिता दर में कमी आई है ।

10.34 कृषि क्षेत्र में मजदूरी कम होने के कारण, बिना भुगतान वाले श्रमिकों के रूप में लगी महिलाओं द्वारा इस क्षेत्र को छोड़ दिए जाने की संभावना होती है क्योंकि शिक्षा और वास्तविक आय वृद्धि उनकी आरक्षण मजदूरी को बढ़ा देते हैं। अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक रूपांतरण श्रम बाजार में अनुरूप नहीं हुआ है। कृषि क्षेत्र में नियोजन में गिरावट विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि के साथ नहीं हुई थी जहां मिडिल से माध्यमिक स्तर की शिक्षा और मध्यम आय समूहों वाली अधिकांश महिलाओं द्वारा रोजगार तलाश जाने की संभावना होती है (चन्द्रशेखर एंड घोष 2011) इस प्रकार, आर्थिक विकास कृषि कार्य छोड़ने वाली महिला कामगारों को खपा पाने में समर्थ नहीं हुआ है (चौधरी 2011; कन्नन एंड रवींद्रन 2012)। महिला शिक्षा में अभूतपूर्व प्राप्ति और महिला रोजगार प्रभुत्व कृषि क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र से उनकी नौकरियों का घटना भी महिला श्रम बल सहभागिता दर

में गिरावट का कारण हो सकती है। यद्यपि मांग तथा आपूर्ति पक्ष से महिला कार्य सहभागिता में गिरावट को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त गंवेषणा की गई है लेकिन हालिया दशकों में महिला रोजगार में गिरावट के रुझान के बारे में विद्वानों के बीच अभी भी कोई सर्वसम्मति नहीं है।

महिला कार्यसहभागिता में सुधार लाने के लिए पहलें

10.35 अर्थव्यवस्था में महिला सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कार्यक्रम/विधायी सुधार लागू किए गए हैं। महिला कामगारों के लिए सौहार्दपूर्ण कार्य माहौल बनाने के लिए विभिन्न श्रम विधियों में शिशु देख-रेख केंद्र, शिशुओं को दूध पिलाने के लिए समय देने, सवेतन मातृत्व छुट्टी को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने, 50 या इससे अधिक कर्मचारी नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा के प्रावधान, महिला कामगारों को पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि कालीन पालियों में अनुमति देने, आदि जैसे अनेक संरक्षात्मक प्रबंध गए है। समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1975 में पुरुष और महिला कामगारों को कोई भेदभाव किए बिना समाज कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए समान पारिश्रमिक की अदायगी किए जाने का प्रावधान है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अधीन, समुचित सरकार द्वारा नियत की गई मजदूरी बिना किसी लैंगिक भेदभाव के महिला और पुरुष दोनों ही कामगारों के लिए समान रूप से लागू होती है। महिला कामगारों की रोजगारपरकता को बढ़ाने के उद्देश्य से, सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माधयम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। इनके अतिरिक्त, पूरे देश में महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न पहले कार्यान्वित की गई है। इन प्रमुख स्कीमों का ब्यौरा निम्नवत है:

(i) कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा: देश में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा सरकार के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के दायरे में सभी महिलाएं, उनकी आयु या रोजगार स्थिति की परवाह किए बिना, आती है। और यह सरकारी तथा निजी क्षेत्र दोनों, चाहे यह संगठित हो या असंगठित के सभी कार्यस्थलों को यौन उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त करने के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) गठित करने का अधिदेश देता है। इसी प्रकार, समुचित सरकार प्रत्येक जिले में स्थानीय शिकायत समिति (एलसीसी) गठित करने के लिए अधिकृत है। यह समिति 10 से कम कामगारों वाले संगठनों से या यदि शिकायत नियोजन के ही खिलाफ हो, शिकायतें प्राप्त करेगी।

(ii) महिला शक्ति केंद्र स्कीम: इस स्कीम का उद्देश्य समुदाय की भागीदारी के जरिए ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना हैं इस स्कीम में ब्लॉक स्तर की पहलों के भाग के रूप में 115 महत्वकांक्षी जिलों में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कॉलेज के छात्र स्वयंसेवकों के माध्यम से समुदाय को इस कार्य से जोड़ने की परिकल्पना की गई है।

(iii) सुरक्षित और सस्ते आवास की व्यवस्था: कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और सस्ता आवास प्रदान करने के लिए, कामकाजी महिला हॉस्टल स्थापित किए गए है। इन हॉस्टलों में साथ रहने वालों के बच्चों के लिए भी दिन के दौरान देखरेख सुविधा होती है।

(iv) महिला हैल्पलाइन स्कीम (डब्ल्यूएचएल): एक एकल नम्बर (181) के माध्यम से पूरे देश में महिलाओं से संबंधित सरकारी स्कीमों/कार्यक्रमों के बारे में रेफरल और जानकारी के जरिए हिसां से प्रभावित महिलाओं को 24 घंटे आपातकालीन तथा गैर-आपातकालीन सुविधा प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल, 2015 से महिला हैल्पलाइन स्कीम कार्यान्वित की गई।

(v) एक ही स्थान पर सेवा केंद्र (ओएससी): इस स्कीम के तहत एकल सेवा रेंज तक पहुंच की सुविधा प्रदान की जाती है जिनमें हिंसा से प्रभावित महिलाओं को पुलिस, चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक सहायता और अस्थाई आश्रय स्थल शामिल हैं। एक ही स्थान पर सेवा केंद्र देश के सभी जिलों में स्थापित किए जा रहे है।

(vi) महिला उद्यमशीलता: महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया और महिला ई-हॉट (महिला उद्यमियों/एसएचजी/एनजीओ को सहायता प्रदान करने के लिए ऑनलाइन विपणन प्लेटफार्म) जैसी स्कीमें शुरू की हैं। प्रध ानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) 10 लाख रुपए तक की सूक्ष्म/लघु व्यवसाय इकाइयों को संस्थागत वित्त तक पहुंच प्रदान करती है। कुल लाभार्थियों में से, लगभग 75 प्रतिशत महिला उधारकर्ता थे। महिला उध ारकर्ताओं के दायरे की ओर भी प्रोत्साहित करने के लिए, सुक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा) सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा महिला उधारकर्ताओं को दिए गए पीएमएमवाई ऋण के लिए इसकी पुनर्वित्त ब्याज दर पर 0.25 प्रतिशत की छूट प्रदान करती है। स्टैंड-अप इंडिया: सरकार विनिर्माण, सेवाओं या व्यापार के क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए प्रति बैंक शाखा कम से कम एक अनुसूचित जाति (एससी) अनुसूचित जनजाति (एसटी) उध ारकर्ता तथा कम से कम एक महिला उध ारकर्ता को 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के बीच ऋण प्रदान करती है।

(vii) राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके)–एक शीर्ष सूक्ष्म-वित्त संगठन है जो गरीब महिलाओं को आजीविका और आय सृजन संबंधी विभिन्न कार्यकलापों के लिए रियायती शर्तों पर सूक्ष्म ऋण प्रदान करता है। अन्य बातों में, राष्ट्रीय महिला कोष महिलाओं में उद्यशीलता कौशलों के विस्तार का संवर्धन और समर्थन भी करता है।

(viii) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी): इस स्कीम के अंतर्गत, महिला उद्यमियों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना की स्थापना के लिए क्रमश: 25 प्रतिशत और 35 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाती है। महिला लाभार्थियों के लिए, स्वयं का अंशदान परियोजना लागत का केवल 5 प्रतिशत है जबकि सामान्य श्रेणी के लिए यह 10 प्रतिशत प्रदान करने के लिए भी वित्तीय सहायता के लिए बैंकों से अपनी परियोजनाओं की स्वीकृति के पश्चात 2 सप्ताह के उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के लिए पात्र है।

(ix) दीनदयाल अंत्योदया योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)- इसका उद्देश्य 8-9 करोड़ ग्रमीण गरीब परिवारों तक पहुंचाना और प्रत्येक और परिवार से एक महिला एवयं सहायता समूहों और परिसंघों में संगठित करना हैं। महिलाओं को ऑर्गेनिक खेती, कृषि सखी, पशु सखी डेयरी महत्व श्रृखंला हस्तक्षेपों, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, स्टार्ट-अप गांव उद्यमशीलता कार्यक्रम आदि जैसी स्कीमों के विभिन्न घटकों के जरिए अपनी खेती संबंधी आजीविका और गैर-खेती संबंधी आजीविका को बढ़ाने के लिए स्कीम के अंतर्गत रोजगार और स्व-रोजगार उद्यम के लिए सहायता प्रदान की जाती है। दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) उनके आय सृजन और आजीविका संबंधी कार्यक्रलापों में सहायता करने के लिए प्रति स्वयं सहायता समूह को 10,000-15,000 रुपए तक की चक्रिय निधियां (आरएफ) और प्रति सहायता समूह 2,50,000 रुपए की सीमा तक सामुदायिक निवेश सहायता निधि (सीआईएसएफ) प्रदान की जाती है।

10.36 अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्या सेवाओं के सार्वभौतिक पहुंच के लिए शुरू की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 और इसके बाद ''आयुष्मान भारत'' अपने 2 घटकों के साथ व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, और 2) 10.74 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों को द्व वितीय और तृतीय श्रेंणी के अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार, प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक कि स्वास्थ्य कवर प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई), एव स्वास्थ भारत के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के विषय में बताती है। स्वास्थ्य सेवा चार महत्वपूर्ण स्तंभों पर केंद्रित है- निवारक स्वास्थ्य सेवा, सस्ती स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा अवसंरचना का निर्माण करना, मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य और संक्रामक व गैर-संक्रामक रोगों से लड़ने के लिए मिशन भाड़े में प्रयास करना। पिछले दो दशकों के दौरान प्राप्ति पोलियो, याज़, मातृ और नवजात टेटनस का उन्मूलन, मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) में कमी अंडर-पांच मृत्यु (यू5एमआर) में महत्वपूर्ण कमी , जीवन-प्रत्याशा में वृद्धि आदि (तालिका 10) वर्तमान में गैर-संक्रामक रोगों के बोझ में उल्लेखनीय वृद्धि को देखते हुए, सरकार अब संक्रामक रोगों (सीडी) से गैर-संक्रामक रोगों (एनसीडी) में इस महामारी संबंधी संक्रामण का निवारण करने पर ध्यान दे रही हैं।

निवारक स्वास्थ्य सेवा

10.37 निवारक स्वास्थ्य देखभाल में, वर्ष 2022 तक डेढ़ लाख आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (एबी-एच डब्ल्यू सी) की स्थापना करना प्रस्तावित है। प्रजनन, मातृ, किशोर और शिशु स्वास्थ्य के लिए व संचारी बिमारियों के लिए सेवाएं प्रदान करना जारी रखते हुए, आम गैर संचारी रोगों जैसे कि उच्च रक्त चाप, मधुमेह और तीन आम कैंसरों-मुंह, छाती और गर्भाशय के कैंसर की उच्च गुणवत्ता जांच, रोकथाम,

तालिका 10: भारत स्वास्थ्य संकेतक

क्र. स.	मानदंड	1991	2001	2011	वर्तमान स्तर
1.	अशोधित जन्म दर (प्रति 1000 जनसंख्या)	29.5	25.4	21.8	20.2 (2017)
2.	अशोधित मृत्यु दर (प्रति 1000 जनसंख्या)	9.8	8.4	7.1	6.3 (2017)
3.	कुल प्रजनन दर	3.6	3.1	2.4	2.2 (2017)
4.	मातृ मृत्यु दर (प्रति 100, 000 जीवित जन्म पर)	NA	301 (2001-03)	167 (2011-13)	122 (2015-17)
5.	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म) ग्रामिण शहरी	80 87 53	66 72 42	44 48 29	33 (2017) 37 23
6.	बाल (0-4) मृत्यु दर (प्रति 1000 बच्चे)	26.5	19.3	12.2	8.9 (2017)
7.	जन्म पर जीवन प्रत्याशा कुल ग्रामिण शहरी	(1991-95) 60.3 58.9 65.9	(2001-05) 64.3 63.0 68.6	(2009-13) 67.5 66.3 71.2	(2013-17) 69.0 67.7 72.4

स्रोत: नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण (एसआरएस) और एसआरएस आधारित संक्षिप्त जीवन तालिका, भारत का महापंजीयक (आरजीआई)

नियंत्रण और प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए और व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए 28005 केंद्र (14 जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार) पहले ही स्थापित किए जा चुकें हैं।

10.38 इन्द्रधनुष मिशन के अंतर्गत, देश भर के 680 जिलों के 3.39 करोड़ बच्चों तथा 87.18 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण (ग्राम स्वराज अभियान और विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान सहित) किया गया है। नए टीकों जैसं कि खसरा-रूबेला (एमआर), न्यूमोकोक्कल कंज्यूगेट टीका (पीसीवी), रोटा वायरस टीका (आर वीवी) और निक्रियकृत पोलियो टीका (आईपीवी) की शुरूआत की गई है। 31 दिसंबर 2019 की स्थिति के अनुसार, 32.42 करोड़ बच्चों का एमआर से टीकाकरण किया गया है। प्रारंभ से (नवम्बर, 2019 तक) पीसीबी की कुल 218.96 लाख खूराक दी गई है। आरवीवी को 11 राज्यों में लागू किया गया थ और नवम्बर, 2019 तक, बच्चों को लगभग 7.44 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, इसको प्रारंभ करने से नवम्बर 2019 तक समग्र देश के बच्चों को आईपीबी की लगभग 11.73 करोड़ खुराक दी गई है।

10.39 उपर्युक्त के अतिरिक्त, स्वास्थ्य की सामाजिक अवधारणाओं को दूर रकने के लिए आवश्यकता के स्वीकार करते हुए सरकार ने एक बहु क्षेत्रीय उपागम ग्रहण किया है ओर सरकार की ईट राइट और ईट सेफ इंडिया, अनिमियायुक्त भारत पोषण अभियान और स्वच्छ भारत अभियान आदि जैसे अन्य मिशन की सहायता से अपने प्रयासों को उत्ररोतर गति प्रदान कर रही हे।

10.40 ई-सिगरेट जैसे मुख्य उत्पादों के माध्यम से युवा और बच्चों में नशे की लत की आशंका को देखते हुए, सरकार ने हाल ही में ई-सिगरेटों के हर प्रकार के वाणिज्यिक कार्यकलापों को प्रतिबंधित किया है। तंबाकू के उत्पाद के पैकेटों पर बड़े चित्रों के माध्यम से दी गई बड़ी चेतावनी और क्विट लाइन नंबर का उल्लेख करने और इसके परिणामस्वरूप क्विट लाइन सेवा केंद्रों पर 20 हजार से 2.50 लाख कॉल प्रतिमाह की वृद्धि यह दर्शाती है कि तंबाकू के प्रयोग को घटाने के लिए सरकार के प्रयास सार्थक होने प्रारंभ हो गए हैं

स्वास्थ्य देखभाल वहनीयता (सामर्थ्य)

10.41 पिछले वर्षों के दौरान भारत में स्वास्थ्य देखभाल सेवा की पहुंच बेहतर हुई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (एनएचए) 2016-17 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कुल स्वास्थ्य व्यय की प्रतिशतता के रूप में जेब खर्च वर्ष 2013-14 में 64.2 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 58.7 प्रतिशत हो गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राक्कलन , 2016-17 के अनुसार स्वास्थ्य पर भारत का मौजूदा सरकारी व्यय 52 प्रतिशत है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के अंतर्गत यह सिफारिश की गई है कि सरकार के स्वास्थ्य व्यय का कम से कम दो तिहाई व्यय प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पर किया जाए।

10.42 आयुिष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) जो कि विश्व की सब से बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, चिछित गरीबों की वहनीय स्वास्थ्य देखभात सेवा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस स्कीम को क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगंणना के अनुसार वंचन और व्यावसायिक कसौटी के आधार पर लागू किया गया है इसके अतिरिक्त एबीएचडब्ल्यूसी के अंतर्गत इस समुदाय के लिए उनकी प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख की आवश्यकताओं और के लिए नजदीक नैदानिक सेवाओं और निशुल्क आवश्क औषधियां प्रदान की जाएगी जिसके द्वारा जेब खर्च को घटाने का उद्देश्य पूरा किया जा सकेगा।

10.43 नि:शुल्क दवा सेवा पहल के अधीन नि:शुल्क औषधियों के प्रावधान के लिए राज्यों को पर्याप्त निधियां दी गई हैं। सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों ने स्वास्थ्य सेवाओं में अनिवार्य औषधियां नि:शुल्क देने के लिए नीति अधिसूचित की है। 29 राज्यों में आई टी आधारित औषधि वितरण प्रबंधन प्रणालियों के माध्यम से औषधि उपलब्धता, गुणवत्ता प्रणाली एवं वितरण को सुव्यवस्थित किया गया है।

10.44 नैदानिकी संबंधी, उच्च ओ ओ पी ई से निपटने के लिए तथा स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारने के लिए नि:शुल्क नैदानिक सेवा पहल आरंभ की गई हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नि:शुल्क प्रयोगशाला सेवाओं के लिए दिशानिर्देश दस्तावेज अगस्त 2019 में जारी किया गया था ताकि हब एवं स्पोक मॉडल में राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों का मार्ग दर्शन किया जा सके, नैदानिक परीक्षणों की श्रृंखला का विस्तार

उप केंद्र/स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र स्तर पर पहले 7 परीक्षण की तुलना में 14 परीक्षण पी एच सी स्तर पर 19 से बढ़ाकर 63 परीक्षण, सी एच सी स्तर पर 39 परीक्षणों से बढ़कर 97 परीक्षण तथा डी एच स्तर पर 56 परीक्षणों को बढ़ाकर 134 परीक्षण कर दिया गया है। परीक्षण में हेमाटोलॉजी, सिरोलाजी, बायो-केमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी, माइक्रो बायोलाजी, रेडियोलाजी एवं कार्डियोलॉजी शामिल हैं। 01 नवंबर 2019 को 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एफ डी आई प्रयोगशाला सेवाएं क्रियान्वित कर दी गई है (11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पी पी पी मोड तथा 22 राज्यों/संघ क्षेत्रों में इन-हाउस मोड); 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (13 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में इन हाउस मोड) में सी टी स्कैन सेवाएं क्रियान्वित कर दी गई हैं।

10.45 उपर्युक्त के अतिरिक्त, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पी एम बी जे पी) एवं प्रधनमंत्री राष्ट्रीय उपभोक्ता कार्यक्रम (पी एम एन डी वी) कुछ ऐसी पहले हैं जो औषधियों एवं अस्पताल देखभाल के बल पर उच्च ओ ओ पी ई के मुद्दे का समाधान करती हैं।

चिकित्सीय अवसंरचना

10.46 भारत में डब्ल्यू एच ओ की 1:1000 की संस्तुति के तुलना में चिकित्सा-जनसंख्या का अनुपात 1:1456 (1.35 बिलियन की अनुमानित जनसंख्या का) चिकित्सकों की कमी से निपटने के लिए जिला अस्पतालों को चिकित्सा महाविद्यालयों के रूप में अपग्रेड करने के लिए उल्लेखनीय कार्यक्रम चिह्नित किया है। पिछले 5 वर्षों में, सरकार ने 141 नई चिकित्सा महाविद्यालयों की संस्कृति दी।

10.47 चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नात्तक एवं स्नात्तकोत्तर सीटों के मानकों को संशोधित किया है। एमबीबीएस की अधिकतम प्रवेश संख्या 150 को बढ़ाकर 250 कर दिया गया है, भूमि, संकाय, स्टॉफ, बिस्तर संख्या आदि की आवश्यकता के संबंध में चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने के मानकों को भी युक्तिसंगत बनाया गया है। सरकार मौजूदा जिला/रैफरल अस्पतालों के साथ संबद्ध नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना को केंद्र एवं राज्यों के बीच निधि को शेयर करके केंद्रीय प्रायोजित योजना का प्रचालन करती है। परिणामस्वरूप, एमबीबीएस एवं एम डी सीटों को बढ़ाकर क्रमश: 27,235 एवं 15000 कर दिया गया है। चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए ये प्रयास दूरगामी सिद्ध होंगे।

10.48 देश के अंडरसबर्ड पिछड़े क्षेत्रों में क्लिनिकल देखभाल, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान में तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य देखभाल क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी एम एस एस वाई) आरम्भ की गई है जिसके अंतर्गत सुपर स्पेशिलिटी ब्लाक स्थापित करके एम्स जैसी संस्थाएं बनाई गई हैं तथा सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों को अपग्रेड किया गया है।

10.49 राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के संविधान के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 को प्रख्यापित किया गया है। एम्स एवं जी आई पी एम ई आर समेत सभी चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की शुरुआत करने के बारे में भी सुधार किए गए हैं।

10.50 स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के क्षेत्र में कई वर्षों से सरकार द्वारा किए जा रहे सतत प्रयासों से मानव संसाधन की उपलब्धता के साथ-साथ स्वास्थ्य देखभाल आधारित संरचना के विकास में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

10.51 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन एच एम) के सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकारों का सहयोग करती है। इसके परिणामस्वरूप राज्यों में लोक स्वास्थ्य सुविधाओं की स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना में उल्लेखनीय सुधार भी हुए हैं। ए बी एच डब्ल्यू सी की स्थापना के अलावा, उप-स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप-जिला अस्पतालों, और जिला अस्पतालों के नए निर्माण/नवीकरण का कार्य पूरे देश में किया जा रहा है। (तालिका 12)।

10.52 10,767 सामान्य चिकित्सा अधिकारियों, 3062 विशेषज्ञों, 61600 स्टाफ नर्सों, 84,077 सहायक नर्सों (ए एन एम), 42,031 पराचिकित्सक, 414 लोक स्वास्थ्य प्रबंधकों और 17,265 कार्यक्रम प्रबंधन स्टॉफ सहित लगभग 2.51 लाख अतिरिक्त स्वास्थ्य मानव संसाधनों को संविदा आधार पर शामिल करने के लिए

तालिका 11: स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना

सुविधाएं	2014	2018
एससी/पीएचसी	182709 (31.3.2014 की स्थिति के अनुसार)	189784 (31.3.2018 की स्थिति के अनुसार)
सरकारी अस्पताल (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र, सीएचसी)	20306	25778
आयुष अस्पताल एवं औषधालय	29733 (1.4.2014 की स्थिति के अनुसार)	31986 (as on 1.4.2018)
चिकित्सा कोलिज	398 (2014-15)	539 (2019-20)
नर्सिंग कर्मचारी	2621981 (31.12.2014 की स्थिति के अनुसार)	2966375 (as on 31.12.2017)
फ्रार्मेसिक्ट	664176 (27.6.2014 की स्थिति के अनुसार)	1125222 (as on 27.3.2019)
चिकित्सक (आधुनिक प्रणाली)*	747109 (upto 2014)	923749 (upto 31.12.2018)
आयुष चिकित्सक	736538 (as on 1.1.2014)	799879 (as on1.1.2018)

स्रोत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2015 और 2019

टिप्पणी: 1: एस सी: उप-केंद्र; पी एच सी: प्राथमिक चिकित्सा केंद्र; सी एच सी: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र; आयुष; आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होमियोपैथी।

2. ऐसी धारणा है कि पंजीकृत डाक्टरों का 80 प्रतिशत उपलब्ध हैं।

भी राज्य सरकारों को भारत सरकार द्वारा सहयोग किया गया। राज्यों द्वारा चिन्हित रणनीतिक रूप से स्थित सुविधाओं के मामले में डाक्टरों को बहु-कौशल बनाने के लिए उल्लेखनीय प्रगति भी गई है जहां पर विशेषज्ञों अथात् एमबीबीएस डाक्टरों की कमी हैं, वहां पर उन्हें आपातकालीन प्रसूति देखभाल, जीवनरक्षक संवेदन/हरण कौशल और लैपरोस्कोपिक सर्जरी में प्रशिक्षित किया जाता है। इसी प्रकार, नर्सिंग स्टाफ और एएनएम की क्षमता निर्माण को भी विशेष महत्व दिया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं जैसाकि पीएचसी, सीएचसी और डीएच आदि में आयुष सेवाओं की सह-स्थापना का भी यह मिशन समर्थन करता है। एनएचएम, जो समुदाय एवं लोक स्वास्थ्य प्रणाली के बीच संपर्क के तौर पर कार्य करता है, के अधीन ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 10.42 लाख प्रमाणित सामाजिक स्वास्थ्य परचिकित्सक ''आशा'' कार्य कर रहे हैं।

Table 12: Public Health Infrastructure under National Health Mission

Facility	New Construction		Renovation/Upgradation	
	Sanctioned	Completed	Sanctioned	Completed
Sub Center	27573	21014	18707	15345
Primary Health Centre	2920	2264	13324	11462
Community Health Centre	604	473	6692	5771
Sub District Hospital	240	139	1150	963
District Hospital	172	129	3201	2325
Total	**31509**	**24019**	**43074**	**35866**

Source: Department of Health & FW (as on 30.6.2019)

मिशन मोड हस्तक्षेप

10.53 एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों को प्राप्त करने के लिए सरकार ने आयुष्मान भारत जैसी एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरूआत की है। आयुष्मान भारत का लक्ष्य जन स्वास्थ्य देखभाल के अलावा निवारक, सुविधापूर्ण देखभाल, पर बल देते हुए सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना; द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर के अस्पताल की देखभाल के दुखद स्वास्थ्य खर्चों के विरूद्ध संरक्षण प्रदान करना है। नए आदर्श मॉडलों में एनसीडी की उभरती चुनौतियों की पहचान तथा उनका सामना करता है तथा आरएमएनसी एच+ए सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) जैसी पहलों के माध्यम से संक्रमणी बीमारियों के लिए किए गए प्रयासों के संधारण का लक्ष्य भी रखा गया है। न्यूमोनिया को सफल तरीके से निष्क्रिय करने (एसएएएनएस) के लिए कार्रवाई करने तथा टीबी हारेगा देश जीतेगा जैसी पहलों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया रहा है।

10.54 देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एबी-एच डब्ल्यू सी एक सुपरिभाषित रैफरल और रिटॅर्न संयोजनों का अनुसरण करेगा। सभी स्तरों पर, चिकित्सकों और विशेषकों द्वारा मामला प्रबंधन समर्थन सहित रैफल सुझाव और सैद्धांतिक परामर्श लेने के लिए सभी स्तरों पर, सुदूर परामर्श का उपयोग किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य टीम की सतत् क्षमता बनाने के लिए कई राज्यों ने डिजीटल प्लेटफार्मों यथा ईसीएचओ का उपयोग भी आरंभ कर दिया है।

10.55 7.78 करोड़ से अधिक लोग इन केंद्रों पर आए और सामान्य एनसीडी के लिए 30 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों ने अपनी जांच कराई। 2.94 करोड़ व्यक्तियों ने तनाव संबंधी जांच करवाई, 2.51 करोड़ व्यक्तियों ने मधुमेह के लिए जांच करवाई जो ऐसी स्थितियां हैं जो अवसाद और अधिक मृत्युदर का कारण बनती हैं। उन्होंने कैंसर की तीन सामान्य स्थितियों के लिए जांच करवाई। 11.1.2020 तक मुख के कैंसर के लिए (1.52 करोड़) व्यक्तियों तथा (92 लाख) महिलाओं ने वक्ष कैंसर तथा (62 लाख) महिलाओं ने ग्रीवा कैंसर की जांच कराई।

सबके लिए घर

10.56 पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य और 2018 मे भारत में घरों की स्थिति के बारे में एनएसओ के हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 76.7 प्रतिशत मकान और शहरी क्षेत्रों में लगभग 96.0 प्रतिशत पक्के घर थे। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) और प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2022 तक सबके लिए घर के लक्ष्य को हासिल करने के लिए दो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं।

10.57 प्रधाानमंत्री आवास योजना-जी के अंतर्गत 2014-15 मे 11.95 लाख घरों की अपेक्षा 2018-19 में 47.33 लाख घरों के निर्माण कार्य में चार गुणा से अधिक की गई वृद्धि, सभी के लिए घर सरकारी वचन बद्धता का संकेत मिलता है। इसे चरण-1 के अंतर्गत 2016-17 से 2018-19 तक, योजना के अंतर्गत 17. 01.2020 तक 1 करोड़ पक्के घरों के लक्ष्य के विपरीत 86.59 लाख पक्के घर उपलब्ध कराए गए। चरण-11 के अंतर्गत (2019-20 से 2021-22 तक), 1.95 करोड़ घरों के संचयी लक्ष्य की अपेक्षा (17 जनवरी, 2020 को) प्रधानमंत्री आवास योजना-जी के अंतर्गत 5,27,878 घर सौंपे गए। 01.01.2020 तक पीएमएवाई के अंतर्गत 1.12 करोड़ घरों की अनुमानित मांग की तुलना में 1.03 करोड़ घरों की मंजूरी दी गई, 61 लाख घरों की निर्माण प्रक्रिया शुरू की गई और 32 लाख घरों को सौंपा गया।

10.58 1 जनवरी, 2020 को सामाजिक समूहों की रेंज को शामिल करते हुए, जिसमें वरिष्ठ नागरिक, निर्माण कार्य से जुड़े श्रामिक, घरेलू कामगर, कारीगर, (दिव्यांगों), ट्रांसजेडर और कुष्ठ रोगियों को शामिल करते हुए, योजना ने सामाजिक व्यापकता को बढ़ावा दिया है, और महिलाओं को घरों का स्वामित्व देते हुए महिला सशक्तिकरण में सुधार किया हैं।

पेयजल और स्वच्छता

जल और स्वच्छता

10.59 पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस), जलशक्ति मंत्रालय ने 10 वर्षीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यनीति (2019-2029) शुरू की है, जो स्वच्छ भारत

मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी) के अंतर्गत हासिल किए गए सतत स्वच्छता व्यवहार परिवर्तन बरकरार रखने पर ध्यान केंद्रित करेगी, यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी पीछे छूट न जाए और ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन की पहुंच का विस्तार हो। वर्ष 2014 में एसबीएम-जी की शुरूआत से अब तक, ग्रामीण क्षेत्रों में 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है; 5.9 लाख से अधिक गांवों, 699 जिलों और 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने स्वयं को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित कर दिया गया है। यह कार्यनीति डीडीडब्ल्यूएस द्वारा राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करके तैयार की गई है और यह स्थानीय सरकारों, नीति निर्माताओं, कार्यान्वयनकर्ताओं तथा अन्य संगत हितधारकों को ओडीएफ प्लस की आयोजना में उनका मार्गदर्शन करने के लिए रूपरेखा निर्धारित करती है, जहां हर कोई शौचालय का उपयोग करता है और प्रत्येक गांव के पास ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा है।

10.60 स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, 2019 में देशभर में 698 जिलों में 17,450 गांवों को सम्मिलित किया गया और इसमें विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों, जन स्वास्थ्य केंद्रों, हाट/बाजारों/धार्मिक स्थानों के 87250 सार्वजनिक स्थान शामिल है, जिससे यह भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण बन गया है। सर्वेक्षण के एक भाग के रूप में लगभग 2.5 लाख नागरिकों का उनके फीडबैंक के लिए साक्षात्कार किया गया था। स्वच्छता संबंधी मुद्दों पर इस प्रयोजन से विकसित एप्लीकेशन का उपयोग कर आनलाइन फीडबैक देने के लिए नागरिकों को जुटाया जाएगा।

10.61 जल शक्ति अभियान, भारत में पानी के अभावग्रस्त ब्लॉकों और जिलों में जल संरक्षण क्रियाकलापों पर प्रगति को और अधिक गतिशील करने के लिए आरंभ किया गया था। जल शक्ति अभियाान (जेएसए) द्वारा 256 जिलों में 3.5 लाख से ज्यादा जल संरक्षण संबंधी उपाय किए गए हैं। इनमें से 1.54 लाख जल संरक्षण और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने से संबंधित हैं, 65,000 से ज्यादा उपाय दोबारा उपयोग और पुनर्भरण संरचनाओं से संबंधित हैं और 1.23 लाख (वाटर शैड) जल विभाजक विकास परियोजनाएं हैं। अनुमान है कि 2.64 करोड़ लोग इस अभियान से पहले ही जुड़ चुके हैं जिससे यह अब जन आंदोलन बन गया है।

निष्कर्ष

10.62 सबका साथ, सबका विकास और विश्वास के आदर्श वाक्य के साथ सरकार के प्रयासों से सामाजिक सेवाओं तक लोगों की पहुंच बेहतर हुई है। गत वर्षों के दौरान, ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में सभी स्तरों पर शिक्षा में भागीदारी से स्थिति सुधरी है। आईटीआई के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण में वृद्धि हुई है और महिला प्रशिक्षुओं की संख्या में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हुई है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत नि:शुल्क नैदानिक सेवाएं एचडब्ल्यूसी, पीएचसी, सीएचसी और डीएच में उपलब्ध कराई जा रही है तथा नि:शुल्क औषधी सेवाएं स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में उपलब्ध कराई जाती है एनएचएम के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं का नवीकरण किया जा रहा है। इन्द्रधनुष मिशन के अंतर्गत, पूरे देश में 680 जिलों के 3.39 करोड़ बच्चों और 81. 18 लाख गर्भवर्ती महिलाओं का टीकाकरण (जीएसए एवं ईजीएसए सहित) किया गया है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कुल औपचारिक रोजगार वर्ष 2011-12 के 8 प्रतिशत की तुलना मूं 2017-18 में 9.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई। देश भर में आयुष्मान भारत और मिशन इंद्रध नुष के माध्यम के अतिरिक्त अन्य स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार हुआ है। गांवों में लगभग 76.7 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 96 प्रतिशत परिवारों के पास पक्के घर हैं। जल शक्ति अभियान भारत में पानी से अभावग्रस्त जिलों में जल संरक्षण के क्रियाकलापों में अधिक प्रगति करने के लिए आरंभ किया गया।

अध्याय एक नजर में
➢ केन्द्र और राज्यों द्वारा सामाजिक सेवाओं (स्वास्थ्य, शिक्षा व अन्य) पर जीडीपी के अनुपात के रूप में व्यय 2014-15 में 6.2 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 (ब.अ.) में 7.7 प्रतिशत हो गया है।
➢ मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग में 2018 की 130 की तुलना में 2019 में 129 का सुधार हुआ।
➢ माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा स्तर पर सकल नामांकन अनुपात में सुधार की गुंजाइश है।
➢ अर्थव्यवस्था में कुल औपचारिक रोजगार में 2011-12 के 8 प्रतिशत की तुलना में 2017-18 में 9.98 की वृद्धि हुई।
➢ महिला श्रमिक बल की प्रतिभागिता में गिरावट आने की वजह से भारत के श्रमिक बाजार में लिंग असमानता का अंतर और बड़ा हो गया है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में और लगभग 60 प्रतिशत उत्पादकता आयु (15-59) ग्रुप पूर्ण कालिक घरेलू कार्यों में लगे हैं।
➢ मिशन इन्द्रधनुष के तहत देशभर के 681 जिलों में 3.39 करोड़ बच्चों और 87.18 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण हुआ है।
➢ देश भर में आयुष्मान भारत और मिशन इंद्रधनुष के माध्यम के अतिरिक्त अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पहुंच में सुधार हुआ है। गांवों में लगभग 76.7 प्रतिशत और शहरों में 96 प्रतिशत परिवारों के पास पक्के घर हैं।
➢ भारत में जल अभावग्रस्त जिलों में जल संरक्षण क्रियाकलापों में प्रगति में तेजी लाने के लिए जल शक्ति अभियान चालू किया गया।

REFERENCES

1. Banu, A. (2016), "*Human development, disparity and vulnerability: Women in South Asia*", Background paper for Human Development Report

2. Chandrasekhar, C P and J Ghosh (2011), "*Latest Employment Trends from the NSSO*", Business Line, 12 July.

3. Chowdhury, Subhanil (2011), "*Employment in India: What Does the Latest Data Show?*", Economic & Political Weekly, August 6, 2011 vol xlvi no 32.

4. Das, M. B. (2006), "*Do traditional axes of exclusion affect labour market outcomes in India*?", Social Development Papers, South Asia Series, No. 97 (Washington DC, World Bank).

5. Himanshu (2011), "*Employment Trends in India: A Re-examination*", Economic and Political Weekly, Vol. 46, No. 37, September 10.

6. Kannan, K P and Raveendran G (2012), "*Counting and Profiling the Missing Labour Force*", Economic & Political Weekly, 47(8).

7. Kapsos, S., Bourmpoula, E., & Silberman, A. (2014), "*Why is female labour force participation declining so sharply in India*?", International Labour Organization.

8. Mehrotra, S., Sinha, S. (2017). *"Explaining Falling Female Employment during a High Growth Period*", Economic and Political Weekly l, 11, 54-62

9. Narayan. L; Sharmila (2019), "*Declining Women Labour Force Participation in India-Causes and Issues,*" Vol.9(4), April 2019, pp-294-309.

10. Rangarajan, C., Padma Iyer and Seema Kaul (2011), *"Where is the missing Labour Force?"*, Economic and Political Weekly, Vil.42 No.46 (39), pp-68-72

11. Sanghi, S., Srija, A., & Vijay, S. S. (2015), "*Decline in rural female labour force participation in India: A relook into the causes*", Vikalpa, 40(3), 255-268.

12. World Economic Forum. (2018), "*The global gender gap report*" Geneva: World Economic Forum.